



अन्नदाता

के हितों को समर्पित

मोदी सरकार



कृषि उन्नति मेला 2018, में प्रधानमंत्री मोदी

“हमने किसानों को खुशहाल और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया है। हम उनकी आमदनी के स्रोतों को बढ़ा रहे हैं और कृषि क्षेत्र में जोखिमों को कम कर रहे हैं।

हम किसानों की आमदनी दोगुनी करने के उद्देश्य से चार तरह की रणनीति अपना रहे हैं।

कृषि लागत में कमी

किसानों की उपज के उचित दाम सुनिश्चित करना
फसल और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में प्रयास करना

आमदनी बढ़ाने के लिए अधिक अवसरों का सृजन
हमारी नीति का उद्देश्य बीज से बाजार तक, प्रत्येक चरण में किसानों की मदद करना है ”

- नरेन्द्र मोदी



परिचय

अध्याय 1- किसान समर्थक सुधार 2020 - स्वतंत्रता, सुरक्षा और अधिक आय	6
सुधारों की पृष्ठभूमि	6
किसान समर्थक सुधारों की आवश्यकता	7
नए कृषि कानूनों के लाभ: संक्षेप में	11
उपज को कहीं भी बेचने की आजादी प्रदान करने वाले कानून का लाभ	13
अनुबंध कृषि कानून का प्रभाव	15
भ्रम और सच्चाई	17
कृषि सुधारों पर सहमति और परामर्श का विवरण	21
परामर्श - विमर्श के दो दशक	23
लाभार्थियों के अनुभव	31
अध्याय 2- 2014 से किसानों की आय दोगुनी करने की ओर अग्रसर	34
कृषि बजट	35
दीर्घकालिक खेती (सस्टेनेबल फार्मिंग) और मृदा स्वास्थ्य (सॉयल हेल्थ)	39
कर्ज की सहज उपलब्धता	43
पानी और बिजली	47
संकट के समय सहायता	51
बीमा	55
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)	61
बाजार तक पहुंच आसान	75
मूल्य में वृद्धि और अनुकूल वातावरण तैयार करना	79
अतिरिक्त आय के अवसर	89
वित्तीय सुरक्षा	95

मोदी सरकार के कृषि संबंधी सुधारों से किसानों को लाभ

इन कानूनों से क्या नहीं होगा

X

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) समाप्त नहीं होगा ।
- एपीएमसी (APMC) मंडियां बंद नहीं की जाएंगी ।
- किसी भी वजह से कोई व्यक्ति किसानों की जमीन को नहीं ले सकेगा ।
- किसानों की जमीन में खरीददार कोई भी बदलाव नहीं कर सकता ।
- खरीददार किसानों को धोखा नहीं दे सकते ।
- खरीददार पूरा भुगतान किए बिना समझौते को समाप्त नहीं कर सकते ।



इन कानूनों से क्या बेहतर होगा



- एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी, कृषि कानून बनने के बाद सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा की।
- एपीएमसी मंडियां अपना काम जारी रखेंगी।
- किसान अपनी उपज इच्छानुसार मंडियों में या उसके बाहर बेच सकते हैं।
- फसल उगाने से पहले ही किसान अपनी उपज के दाम तय कर सकते हैं।
- समय पर भुगतान न करने पर खरीददारों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
- किसान अपनी मर्जी से समझौतों को खत्म कर सकते हैं।
- इन प्रयासों से ज्यादा निवेश और बुनियादी सुविधाएं विकसित होंगी।
- किसानों की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।




एमएसपी और मंडियों के प्रति मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प

- कृषि कानून एमएसपी प्रणाली को प्रभावित नहीं करते, एमएसपी जारी रहेगी।
- कृषि कानून बनने के तुरंत बाद सरकार ने सितम्बर, 2020 में एमएसपी में बढ़ोतरी की।
- नए कृषि कानून बनने के बाद एक भी एपीएमसी मंडी बंद नहीं हुई।
- एपीएमसी मंडियां अपना कामकाज जारी रखेंगी।
- किसान अपनी उपज इच्छानुसार मंडियों में या इनके बाहर बेच सकते हैं।

मोदी सरकार ने पहले की सरकारों की तुलना में अधिक एमएसपी का भुगतान किया और किसानों से कहीं अधिक खरीददारी भी की।

संप्रग सरकार की तुलना में किसानों को धान और गेहूं के लिए एमएसपी भुगतान



₹3.74 लाख करोड़
2009-14 UPA सरकार

₹8 लाख करोड़
2014-19 NDA सरकार

मोदी सरकार ने संप्रग सरकार की तुलना में एमएसपी के तौर पर किसानों को दोगुना से अधिक धनराशि का भुगतान किया।

एमएसपी पर दालों की खरीद



1.52 LMT
2009-14 UPA सरकार

112.28 LMT
2014-19 NDA सरकार

मोदी सरकार ने संप्रग सरकार की तुलना में 74 गुना अधिक दालें खरीदीं।

भूमिका

स्वतंत्र भारत ने अनेक प्रधानमंत्री देखे हैं लेकिन इन सबके बीच नरेन्द्र मोदी की एक अलग पहचान है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव जीतने से पहले वह 13 वर्ष से अधिक समय तक एक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी की एक ऐसे नेता के रूप में पहचान बनी जो नीतिगत मामलों की जटिलताओं और जमीनी स्तर पर उनके प्रभाव की गहराई को बखूबी समझते थे।

गुजरात में किसानों के जीवन में बदलाव

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी सबसे बड़ी सफलता यह रही कि वे एक सूखा प्रभावित राज्य के किसानों के जीवन में बदलाव ला सके और उन्हें आत्मनिर्भर तथा समृद्ध बना सके। किसानों के कल्याण के लिए वे हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं, उनकी नीतियों में किसानों की समस्याओं को गहराई से समझकर उनके कल्याण के लिए नए-नए उपायों पर अधिक ध्यान देना शामिल रहा है।

मुख्यमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी किसानों की छोटी से छोटी जरूरतों को लेकर संवेदनशील रहे और उन्होंने राज्य की पूरी व्यवस्था को किसानों के अनुकूल बनाया।

गुजरात सरकार का प्रमुख निवेशक सम्मेलन

'वाइब्रेट गुजरात' हमेशा सुर्खियों में रहा करता था हालांकि यह दो साल में आयोजित किया जाने वाला दो दिवसीय कार्यक्रम था। लेकिन इसके साथ ही मोदी प्रत्येक वर्ष एक माह की अवधि वाले कृषि महोत्सव का आयोजन करते थे जहां सरकार के प्रत्येक स्तर के अधिकारी किसानों के साथ काम करते थे।

इस महोत्सव के दौरान मोदी ने 'कृषि रथ' नाम से एक अनोखी पहल की जो गुजरात की प्रत्येक तहसील में जाया करता था। इसमें विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और कृषि से जुड़े विभागों के सरकारी अधिकारियों की एक मोबाइल टीम को प्रत्येक क्षेत्र में भेजा जाता था और यह किसानों को कृषि की आधुनिक तकनीक, नई प्रौद्योगिकी को अपनाने और किसानों को मदद देने के बारे में जागरूक करती थी।

किसानों को विज्ञान के फायदे पहुंचाने में नरेन्द्र मोदी मार्गदर्शक साबित हुए हैं और उन्होंने किसानों को उनकी जमीन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 'सॉयल हेल्थ कार्ड योजना' की शुरुआत की। देश में 'हरित क्रांति के जनक' के नाम से मशहूर कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन ने 2007 में कहा था, 'किसानों के लिए राष्ट्रीय आयोग में हमने एक बार फिर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के नेटवर्क को मजबूत करने की आवश्यकता, मृदा की जांच करने वाली मोबाइल वैन्स, प्रत्येक किसान को सॉयल हेल्थ कार्ड जारी करने के महत्व पर जोर दिया है, लेकिन इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। कुछ राज्यों जैसे गुजरात ने काफी अच्छा कार्य किया है और गुजरात में कृषि वृद्धि दर 9 प्रतिशत से ऊपर है।'

कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन की सिफारिशों को गुजरात में जिस समय मुख्यमंत्री मोदी द्वारा लागू किया जा रहा था उस समय की तत्कालीन केन्द्र सरकार चुपचाप बैठी हुई थी।

इसके परिणामस्वरूप गुजरात में कृषि उत्पादन और फसलों की मात्रा में जबरदस्त वृद्धि हुई। उदाहरण

के तौर पर वर्ष 1999-2000 से 2016-17 की अवधि में कुल धान उत्पादन 39.92 लाख टन से बढ़कर 65.38 लाख टन हो गया। वो भी तब जब इन फसलों की बुवाई वाला क्षेत्र 32 लाख से घटकर 28.36 लाख हेक्टेयर रह गया था। इस तरह के कार्यक्रमों से किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई और इससे उनके लिए बेहतर आमदनी, अच्छी तकनीक अपनाने और अन्य अच्छे नतीजे सामने आए।

कृषि और किसानों की आमदनी को बेहतर बनाने वाली यह व्यवस्था जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि यह मुख्यमंत्री की कृषि समझ से प्रेरित था। जो खेती को बहुत बारीकी से समझते थे और जिन्होंने किसानों के सशक्तिकरण के लिए पूरे मन से काम किया था।

BusinessLine
Gujarat's decade of agricultural success

Updated on March 30, 2018 | Published on May 24, 2013

Gujarat's agro-economy stands out due to its market orientation for ensuring fair returns to farmers.

Forbes

How did Gujarat Become a Farming Paradise?

Destiny willed it to be an agricultural laggard. But Gujarat is today a farming paradise

PUBLISHED: Mar 18, 2010 07:27:22 AM IST

UPDATED: Mar 18, 2010 06:42:54 PM IST

India Today awarded Gujarat as Best In Agriculture under the then Gujarat Chief Minister Narendra Modi



THE ECONOMIC TIMES
English Edition • | E-Paper

Rajiv Gandhi Foundation finds Gujarat No 1 state

TNN • Last Updated: May 21, 2005, 07:24 AM IST

The Narendra Modi brand of governance has got an unexpected endorsement. The Rajiv Gandhi Foundation, headed by Rajiv Gandhi, has adjudged Modi's Gujarat as the Number 1 state in

THE ECONOMIC TIMES News
English Edition • | E-Paper

Gujarat records highest decadal agricultural growth rate of 10.97%

ET Bureau • Last Updated: Jul 16, 2011, 06:40 AM IST

अन्नदाता के हितों को समर्पित मोदी सरकार

गुजरात के कृषि संबंधी चमत्कार ने मोदी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया

मोदी के कार्यकाल में गुजरात में कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में जो जबरदस्त वृद्धि देखी गई, उसे विशेषज्ञों ने एक कृषि चमत्कार कहा।

कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने अप्रैल 2014 में गुजरात मॉडल की व्याख्या कुछ इस प्रकार की है :

‘जन समर्थक नीतियों ने अधिकतम लोगों की आय अर्जन क्षमता में बढ़ोतरी की है और गुजरात ने अपने कृषि संबंधी चमत्कार से यह कर दिखाया है। इस सफलता के पीछे कई कारण हैं जैसे – बीटी कॉटन की तकनीकी सफलता से लेकर भूमिगत जल को रिचार्ज करने के लिए छोटे बांधों का निर्माण, नर्मदा के पानी की उपलब्धता, ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के लिए ज्योतिग्राम, कृषि विस्तार परिदृश्य को बदलने वाले कृषि महोत्सव, पहले की तुलना में अधिक विकसित डेयरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली अच्छी सड़कें।’

- नरेन्द्र मोदी जिस समय गुजरात में यह असाधारण काम कर रहे थे उस समय तत्कालीन केंद्र सरकार का रवैया उसके विपरीत था।
- उस समय केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा तो किया करती थी लेकिन उन्होंने कभी बड़ी मात्रा में किसानों से उनके कृषि उत्पादों की खरीददारी नहीं की।
- उन्होंने किसानों के कर्ज को माफ करने की घोषणा तो की थी लेकिन यह माफी अधिकतम उन किसानों तक कभी नहीं पहुंच पाई जो छोटे और सीमांत किसान थे।
- उन्होंने बड़ी योजनाओं की घोषणा तो की लेकिन यह सभी योजनाएं सिर्फ घोषणा मात्र ही रहीं।
- उन्होंने किसानों को खाद पर सब्सिडी देने का वादा किया लेकिन किसानों तक पहुंचने के बजाय यह कालाबाजारी की भेंट चढ़ गया।

किसान हितैषी कदमों की वजह से किसानों ने पूरे जोश के साथ नरेन्द्र मोदी के पक्ष में मतदान किया और 2014 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाया।

भारत में किसानों के कल्याण का नया युग

2014 में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार ने आरंभ से ही किसानों के कल्याण की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लेने शुरू कर दिए। केंद्र में पहली बार ऐसी सरकार बनी, जिसने सार्वजनिक रूप से किसानों के हित में महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए। इसमें सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण था- किसानों की आय को दोगुना करना। किसानों को रोल मॉडल के रूप में मान्यता दिलाने की दृष्टि से किसानों को पद्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया।

पिछले 6 वर्षों में मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से सुधार कर चुकी है और कृषि चक्र के प्रत्येक चरण में किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है।

इस दिशा में न केवल एमएसपी में कई गुना बढ़ोतरी की गई, बल्कि पिछली सरकारों की तुलना में अधिक एमएसपी पर सरकारी खरीददारी की गई। वर्ष 2013-14 में तुअर दाल के लिए एमएसपी 4,300 रुपये प्रति क्विंटल थी जिसे 2020-21 में काफी बढ़ोतरी कर 6,000 रुपये प्रति क्विंटल किया गया।

अगर तुअर दाल के लिए घोषित एमएसपी 55 प्रतिशत अधिक थी तो इसी दौरान दालों की सरकारी खरीद में भी जबरदस्त वृद्धि देखी गई थी। वर्ष 2009-14 के दौरान यूपीए सरकार ने केवल 1.52 लाख मीट्रिक टन दालों की सरकारी स्तर पर खरीददारी की थी, जबकि 2014-19 के दौरान मोदी सरकार ने

112.28 लाख मीट्रिक टन की एमएसपी दर पर खरीददारी की थी जो 74 गुना अधिक है।

दूसरा उदाहरण लेते हैं, वर्ष 2014 से पहले के 15 वर्ष शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में रही और इसी दौरान 10 वर्षों तक वह केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे। इस समयविधि में महाराष्ट्र के किसानों से खाद्यान्न को खरीदने के लिए सरकार ने मात्र 450 करोड़ रुपये खर्च किए थे। इसके विपरीत 2014 से 2019 के दौरान पांच वर्षों की अवधि में एनडीए सरकार ने 8,500 करोड़ रुपये मूल्य के खाद्यान्न की खरीददारी की थी।

किसानों के समर्थन और सुधार संबंधी कानून बनने के तुरंत बाद हाल ही में सितम्बर, 2020 में एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी जो स्पष्ट रूप से एमएसपी प्रणाली को पहले से अधिक मजबूत करने की सरकार की इच्छा को दर्शाता है।

सिंचाई और बीमा क्षेत्र में काफी सुधार देखा गया है और प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक पीएम किसान कल्याण योजना के जरिए किसानों के लिए प्रत्यक्ष आय समर्थन को सुनिश्चित किया गया। इस योजना से अब सीधे किसानों के खातों में धनराशि पहुंच जाती है।

देश में व्यापक पैमाने पर कोल्ड चैन, मेगा फूड पार्क और कृषि प्रसंस्करण (एग्रो प्रोसेसिंग) के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना की गई है और कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियां भी हुई हैं जिन्होंने किसानों की आमदनी के ऐसे नए रास्ते खोले हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए थे।

आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान

अनेक विशेषज्ञ दशकों से जिन कृषि सुधारों की वकालत कर रहे थे, उन्हें हाल ही में अमल में लाया गया है, जो अनेक किसानों और किसान यूनियनों की मांगों को पूरा करते हैं। ये सुधार किसानों को अपनी कृषि उपज कहीं भी और किसी को भी बेचने की आजादी देते हैं। किसान अपनी उपज एपीएमसी मंडियों के भीतर या उसके बाहर भी बेच सकते हैं।

केंद्र सरकार के ये सुधार एक सुरक्षात्मक कानूनी ढांचे के साथ किसानों को मजबूती प्रदान करते हैं जिससे खरीददारों से सौदेबाजी के दौरान किसानों की फसलों का उचित मूल्य भी सुनिश्चित होता है। इन सुधारों को खेती-किसानी से जुड़े विभिन्न पक्षों, विशेषज्ञों और अनेक समितियों के साथ दशकों के विचार-विमर्श और सभी पार्टियों की सहमति के बाद ही लागू किया गया है।

कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुभव और उनकी सरकार का कामकाज इस बात का भरोसा देता है कि किसानों का जीवन पहले से बहुत बेहतर हो रहा है। इसमें किसानों की सुरक्षा के लिए अनेक बातों के अलावा उनकी आमदनी को बढ़ाने के अन्य स्रोतों पर भी ध्यान दिया गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर समूचा राष्ट्र इस दिशा में बढ़ चला है और आत्मनिर्भर किसान भी इस दिशा में अग्रणी ही रहेंगे।



किसानों के लिए कृषि को लाभकारी बनाने के मुद्दे पर दशकों से काफी विचार-विमर्श और वाद-विवाद हुआ था और इसी दिशा में अनेक समितियों का गठन, विचार-विमर्श और भिन्न पक्षों के साथ समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया लेकिन इसके बावजूद कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया गया।

किसानों ने अपने पसीने और मेहनत से भारत को कृषि उत्पादन के क्षेत्र में बेहतर स्थिति प्रदान की है, लेकिन उनके लाभ के मुद्दे को हमेशा दरकिनार किया गया और किसानों को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई थी।

2014 में नरेन्द्र मोदी के प्रभावशाली और अनुभवी नेतृत्व में केंद्र में नई सरकार का गठन हुआ तो इस दिशा में तेज़ी से मंथन शुरू हुआ, जिनकी परिणति आज हम इन नए कृषि कानूनों के रूप में देखते हैं, जो किसानों की आय कई गुना बढ़ाने की दिशा में एक नई बाजार व्यवस्था का निर्माण करेंगे।



किसान समर्थक सुधार 2020

स्वतंत्रता, सुरक्षा और अधिक आय

सुधारों की पृष्ठभूमि

कृषि और अन्य क्षेत्रों के बीच असमानता

नब्बे के दशक की शुरुआत में आर्थिक उदारीकरण के बावजूद कृषि क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया गया था।

किसान और गैर-किसान श्रमिक की वार्षिक आय में अंतर, जो 1993-94 में 25,398 रुपये था, वह 1999-2000 में 54,377 रुपये हो गया और अगले दशक में यह बढ़कर 1.42 लाख रुपये से भी अधिक हो गया।

अत्यधिक नियम - प्रतिबंधों के कारण खाद्यान्न क्षेत्र में 2011-12 के बाद औसत वार्षिक वृद्धि 1.1 प्रतिशत रही, जबकि डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र 4 से 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से आगे बढ़ रहा है।

इसीलिए हमेशा से यह महसूस किया जाता रहा है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र को भी अन्य क्षेत्रों की तरह ही किसान समर्थक (प्रो - फार्मर) सुधारों की जरूरत है।



किसान समर्थक सुधारों की आवश्यकता

बाजारों में भिन्नता

प्रत्येक बाजार एक अलग-अलग स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करता है जो राज्य के भीतर तथा अंतरराज्यीय व्यापार में बाधा डालता है।

अपर्याप्त बाजार

इसके साथ-साथ बढ़ती उपज के अनुरूप पर्याप्त बाजार की कमी रही है।

बाजार शुल्क और अन्य शुल्क

करों और खेत से बाजार तक लिए जाने वाले अन्य कमीशन की वजह से जहां उपज की अंतिम उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होती है वहीं किसानों की आय में कमी होती है।

अपर्याप्त बुनियादी ढांचा

बाजार करों के बावजूद, बाजारों का बुनियादी ढांचा अविकसित है जो कि आधुनिक सप्लाय चैन से मेल नहीं खाता।

फसल कटाई के बाद घाटा

अपर्याप्त बुनियादी ढांचे की वजह से फसल कटाई के बाद का घाटा बढ़ता ही गया जो 2014 में अनुमानित रूप से 90,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।



लाइसेंसिंग में प्रतिबंध

लाइसेंस एजेंट के रूप में प्रवेश सीमित होने की वजह से बाजार में प्रतिस्पर्धा का अभाव है जिससे व्यवसायिक गिरोहबंदी (कार्टिलाइजेशन) को बढ़ावा मिला।

बिचौलियों से किसानों को नुकसान

अलग-अलग बाजारों ने बिचौलियों को बढ़ावा दिया, इससे उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले सामान की लागत तो बढ़ गई लेकिन किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला।

सूचना से वंचित किसान

किसानों के पास अक्सर बाजार की जानकारी का अभाव होता है, जिन्हें व्यापारी और कमीशन एजेंट किसानों तक पहुंचने से रोकते हैं।

किसानों के लिए अपर्याप्त ऋण सुविधाएं

बैंक से कर्ज के रूप में किसानों को अभी भी उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जितनी अन्य माध्यम से कर्ज लेने में मिलती है।



कैसे किसानों को किसान समर्थक सुधारों का लाभ मिलना शुरू हो गया है

"किसानों को मिली इस आजादी के कई लाभ दिखाई देने शुरू भी हो गए हैं। क्योंकि इसका अध्यादेश कुछ महीने पहले निकाला गया था। ऐसे प्रदेश जहां पर आलू बहुत होता है, वहां से रिपोर्ट्स हैं कि जून-जुलाई के दौरान थोक खरीददारों ने किसानों को अधिक भाव देकर सीधे कोल्ड स्टोरेज से ही आलू खरीद लिया है। बाहर किसानों को आलू के ज्यादा दाम मिले तो इसकी वजह से जो किसान मंडियों में आलू लेकर पहुंचे थे, आखिर दबाव में आने के कारण, बाहर बड़ा ऊंचा मार्केट होने के कारण मंडी के लोगों को भी किसानों को ज्यादा दाम देना पड़ा। उन्हें भी ज्यादा कीमत मिली। इसी तरह मध्य प्रदेश और राजस्थान से रिपोर्ट्स हैं कि वहां पर तेल मिलों ने किसानों को सीधे 20 से 30 प्रतिशत ज्यादा देकर सरसों की खरीद की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में दालें बहुत होती हैं। इन राज्यों में पिछले साल की तुलना में 15 से 25 प्रतिशत तक ज्यादा दाम सीधे किसानों को मिले हैं। दाल मिलों ने वहां भी सीधे किसानों से खरीद की है, सीधे उन्हें ही भुगतान किया है।"

प्रधानमंत्री मोदी का 21 सितंबर, 2020 को
बिहार के एक कार्यक्रम में वक्तव्य।

कहीं भी, किसी को भी उपज बेचने की आजादी

"अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो हमारे यहां आजादी के बाद जो नियम-कायदे बने, उसमें किसानों को बिचौलियों के हाथों में छोड़ दिया गया था। किसान कहां फसल बेच सकता है, कहां नहीं, नियम बहुत सख्त थे। किसानों के साथ दशकों से हो रहे अन्याय को दूर करने की इच्छाशक्ति हमारी सरकार ने दिखाई। APMC एक्ट में बदलाव के बाद अब किसानों को भी उनके अधिकार हासिल होंगे। किसान अब जिसे चाहें, जहां चाहें और जब चाहें अपनी फसल बेच सकते हैं। अब कोई किसान अपनी फसल देश के किसी भी राज्य में ले जाकर बेच सकता है। साथ ही वेयरहाउसेस में रखे अनाज या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के जरिए भी बेचे जा सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, इससे एग्री-प्रोडक्ट्स बिजनेस के लिए कितने नए रास्ते खुलने जा रहे हैं।"

2 जून, 2020 को भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र में
प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन भाषण का अंश

मंडियां काम करती रहेंगी

"कई जगह ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब कृषि मंडियों का क्या होगा ? क्या कृषि मंडियां बंद हो जाएंगी, क्या वहां पर खरीद बंद हो जाएगी ? जी नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। और मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं हैं। कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था, वैसे ही अब भी होगा। बल्कि ये हमारी ही एनडीए सरकार है जिसने देश की कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है। कृषि मंडियों के कार्यालयों को ठीक करने के लिए, वहां का कंप्यूटराइजेशन कराने के लिए, पिछले 5-6 साल से देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इसलिए जो ये कहता है कि नए कृषि सुधारों के बाद कृषि मंडियां समाप्त हो जाएंगी, तो वो किसानों से सरासर झूठ बोल रहा है।"

प्रधानमंत्री मोदी का 21 सितंबर, 2020 को बिहार के एक कार्यक्रम में वक्तव्य।

किसानों को बाजार की ताकत बनाया जा रहा है

"APMC एक्ट, Essential Commodities Act में जो संशोधन किए गए हैं, किसानों और Industry के बीच Partnership का जो रास्ता खोला गया है, उससे किसान और Rural Economy का कायाकल्प होना तय है। इन फैसलों ने किसान को एक Producer के रूप में और उसकी उपज को एक Product के रूप में पहचान दी है।

साथियों, चाहे किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करना हो, चाहे MSP का फैसला हो, उनकी पेंशन की योजना हो, हमारा प्रयास किसानों को सशक्त करने का रहा है। अब किसानों को एक बड़ी मार्केट फोर्स के तौर पर विकसित होने में सहायता की जा रही है।"

11 जून, 2020 को आईसीसी के 95 वें वार्षिक पूर्ण सत्र के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य।

नए कृषि कानूनों के लाभ : संक्षेप में

क्रमांक	सुधारों से पहले	सुधारों के बाद
1	पहले किसान अधिसूचित कृषि उपज केवल एपीएमसी मंडी में बेच सकता था। व्यवसायी समूहों का एकाधिकार था जो कीमतों को कृत्रिम रूप से कम रखते थे।	एपीएमसी मंडी में बेचने या किसी अन्य विक्रेता को चुनने की स्वतंत्रता है। बेचने के लिए कई विकल्प हैं। प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बेहतर मूल्य प्राप्ति हो रही है।
2	मंडी में एक बार उपज लाने के बाद, किसान को जिस कीमत की पेशकश हो, उसे स्वीकार करना पड़ता था।	मंडी में आने से पहले ही मोल-भाव कर कीमत तय कर सकते हैं।
3	उत्पादकों और उपभोक्ताओं को मंडी शुल्क, दलाली और अन्य किस्म के शुल्क देने पड़ते थे।	कोई शुल्क, कोई दलाली नहीं है। उत्पादकों और उपभोक्ताओं को बड़ी बचत मिली है।
4.	कीमतों का अलग-अलग होना। बिचौलियों की लंबी श्रृंखला।	अब उपभोक्ता मूल्य का अधिकतर हिस्सा सीधे किसानों को। बिचौलियों की कम या शून्य भूमिका है।
5.	कृषि वस्तुओं का व्यापार करने के लिए युवा किसानों के पास कोई अवसर नहीं था।	अब ग्रामीण युवा किसानों को व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला चलाने का अवसर मिल रहा है।



6.	किसान पहले अपना उत्पाद सीधे उपभोक्ता को नहीं बेच सकते थे।	अब सीधे किसी को भी बेच सकते हैं और अधिक कीमत पा सकते हैं।
7.	पहले सिर्फ कुछ ही राज्यों में एपीएमसी मंडी के बाहर फल और सब्जियां बेचने की छूट थी।	अब सभी कृषि उत्पादों को, पूरे देश में बेचने की छूट मिल गई है।
8.	छोटे किसानों के पास बाजार में सौदेबाजी की ताकत नहीं थी।	आधुनिक तकनीक, सेवाओं और संरक्षण की मदद से अब छोटे किसान कीमतों की अनिश्चितता के खिलाफ सशक्त हो गए हैं। किसान उत्पादक संगठन छोटे किसानों को अपनी उपज का बेहतर सौदा करने में मदद करते हैं।
9.	अनुबंध खेती कुछ क्षेत्रों तक सीमित।	किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए देशभर में अनुबंध खेती की जा सकती है।
10.	किसान वैल्यू चेन का हिस्सा नहीं थे।	वैल्यू चेन में अब किसान भी भागीदार हैं।
11.	बिचौलियों की लंबी श्रृंखला और खराब रखरखाव के कारण निर्यात की संभावनाएं कम थी।	निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसान को लाभ होगा।



उपज को कहीं भी बेचने की आजादी प्रदान करने वाले कानून का लाभ

किसान अगर एपीएमसी बाजारों के भीतर उपज बेचना चाहें तो वह भी कर सकते हैं, क्योंकि एपीएमसी मंडी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। एमएसपी भी जारी रहेगी, क्योंकि एमएसपी किसानों के लिए सुरक्षा कवच है।

किसानों के लिए अपना उत्पाद बेचने के लिए एपीएमसी बाजार यार्ड खोले जाएंगे। इसके अलावा वह मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेच सकते हैं। किसानों से खरीददारी की इस प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि किसानों के पास अपनी कीमत तय करने के लिहाज से मोल-भाव करने की ज्यादा ताकत होगी।

हर उत्पाद और हर उत्पादक के लिए पूरा भारत एक एकीकृत बाजार है। केवल किसानों को ही इस विशाल बाजार के लाभ से वंचित रखा गया था।

इन सुधारों के साथ भारतीय किसान अब अपनी उपज जिसे चाहें, जहां चाहें और जिस कीमत पर चाहें बेच सकते हैं। उन्हें अब तक इस विकल्प से वंचित रखा गया था।



अगर किसानों को उनके घर पर ही उपज की खरीददारी के लिए खरीददार मिलते हैं तो वे उन्हें अपनी उपज बेच सकते हैं। उनके लिए एक कानूनी संरचना भी है जो इस प्रक्रिया के दौरान उनके अधिकारों की सुरक्षा करती है। इससे किसानों का समय और पैसा दोनों बचेगा।

अपने खेतों के पास बुनियादी ढांचे का विकास कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करेगा और खाद्य प्रसंस्करण, खुदरा और निर्यात बाजार से सीधे संपर्क बनाकर आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा।

इससे किसानों के लिए बेहतर कीमत तलाशने से जुड़े तंत्र का भी विकास होगा और उनकी उपज के लिए बेहतर कीमत मिलेगी।

ई-नाम (e-NAM), कृषि उपज की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए राष्ट्रीय मंच के तौर पर अपनी क्षमता अंततः हासिल कर सकता है।

अनुबंध कृषि कानून का प्रभाव

अनुबंध खेती में किसान को एक तय कीमत का भरोसा।

अनुबंध खेती फसल की बुवाई से पहले ही किसान और खरीददार के बीच एक अनुबंध की प्रक्रिया है। जिसमें किसान को पहले से ही यह पता होगा कि उसे अपनी फसल का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिलेगा, इसलिए वह फसल की बुवाई से पहले ही एमएसपी से अधिक मूल्य पर मोल-भाव कर सकेगा।

एमएसपी वास्तव में किसानों के लिए सौदा करने के शुरुआती मूल्य के रूप में काम करेगी और किसानों को सशक्त बनाएगी।

अनुबंध का मूल्य केवल वह न्यूनतम मूल्य है जो किसान को मिलेगा। अगर खरीददार उम्मीद से अधिक लाभ अर्जित करता है, तो किसान तय किए गए न्यूनतम मूल्य पर बोनस प्राप्त करने के हकदार होंगे।

इसका अर्थ है कि खरीददार को पुनः बिक्री/मूल्य संवर्धन (वैल्यू एडिशन) करते हुए अगर हानि भी होती है तो भी किसान को निश्चित मूल्य प्राप्त होगा। लेकिन अगर उम्मीद से अधिक लाभ होता है तो किसान को भी उस लाभ का हिस्सा मिलेगा।

आढ़तिये भी खरीददार बनकर अनुबंध खेती कानून का उपयोग करके सशक्त बन सकते हैं, क्योंकि किसानों के साथ उनका पहले से ही संबंध होता है और वे अच्छी तरह जानते हैं कि किसान क्या उत्पादन कर रहे हैं।

किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से किसानों को एक मंच पर लाने से मोल-भाव की क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ छोटे किसानों को इस व्यवस्था के अन्य फायदे भी मिलेंगे।

इन सुधारों से कृषि क्षेत्र में बेहतर निश्चित मूल्य और कृषि सेवाओं के लिए अनुबंधों के माध्यम से निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

इन सुधारों के प्रभाव से भारत के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का कार्याकल्प होगा। पूरी कोल्ड चेन में निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ेगा जिससे हानि कम होगी और किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी।

बेहतर बैकवर्ड लिंकेज से उपज की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित होगी, जिससे देश वैश्विक निर्यात बाजारों में बड़ी हिस्सेदारी प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार भारतीय किसानों के लिए वैश्विक बाजार भी खुल जाएंगे।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे भारत अपनी खाद्य सुरक्षा को बरकरार रखते हुए विश्व में एक शीर्ष खाद्य निर्यातक बनने के मार्ग पर आगे बढ़ेगा।

इन प्रभावों के कारण खेती छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी लाभकारी बन सकती है।

कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) कानून, 2020- देशभर में कृषि उपज बेचने की आजादी भ्रम और सच्चाई

क्रमांक	भ्रम	सच्चाई
1	<p>क. “किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी”</p> <p>ख. “यह अंत में एमएसपी आधारित खरीद प्रणाली को खत्म कर सकता है”</p>	<p>एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी। वास्तव में, मोदी सरकार ने एमएसपी में कई गुना वृद्धि की है और किसानों से एमएसपी पर पिछली किसी भी सरकार से ज्यादा खरीद की है।</p> <p>नया कानून एमएसपी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। कृषि उपज पर एमएसपी खरीद राज्य एजेंसियों के माध्यम से की जाती है और इस कानून से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।</p> <p>किसानों से एमएसपी पर खरीद वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह जारी रहेगी।</p>
2	<p>“व्यापार और वाणिज्य कानून राज्य एपीएमसी कानूनों का स्थान लेगा और एपीएमसी के कामकाज को प्रभावित करेगा”</p>	<p>इस कानून को राज्य एपीएमसी कानून की जगह देने का कोई इरादा नहीं है और यह एपीएमसी के कामकाज को प्रभावित नहीं करता।</p> <p>एपीएमसी बाजार परिधि की भौतिक सीमाओं के भीतर कृषि उपज की विपणन करते रहेंगे। वे अपने नियमों के अनुरूप मंडियों में बाजार शुल्क लगा सकते हैं।</p> <p>कानून केवल किसानों को मौजूदा एपीएमसी के बाहर विपणन के अतिरिक्त मौके देता है।</p> <p>दोनों कानून किसानों के साझा हित के लिए एक साथ बने रहेंगे।</p>
3	<p>क. “कानून का निर्माण करने के राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण”</p> <p>ख. “राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण”</p>	<p>अंतर्राज्यीय व्यापार भारत के संविधान की संघ सूची के प्रविष्टि 42 में आता है।</p> <p>जहां राज्यों के बीच व्यापार संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 26 में आता है वहीं यह भारत के संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के तहत भी आता है।</p> <p>केंद्र सरकार यहां पर कानून बनाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और उसे इसका अधिकार है। इसलिए राज्यों की शक्तियों का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है।</p>

क्रमांक	भ्रम	सच्चाई
4	<p>क. “किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया”</p> <p>ख. “कॉरपोरेट द्वारा किसानों का उत्पीड़न होगा”</p>	<p>कानून किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त विस्तृत तंत्र का निर्माण करता है।</p> <p>व्यापारियों के संबंध में किसानों के लिए सरल, सुगम्य, त्वरित और कम खर्च वाला विवाद निवारण तंत्र निर्धारित किया गया है ताकि किसी तरह की गलत कार्रवाई को रोका जा सके।</p>
5	<p>“कानून किसानों के भुगतान की रक्षा नहीं करता। एपीएमसी के तहत कमीशन एजेंट सत्यापित होते हैं और भुगतान सुरक्षित होता है”</p>	<p>किसानों को उपज की बिक्री के दिन ही या उसके बाद कामकाज के तीन दिनों के भीतर भुगतान करना होगा।</p> <p>किसी तरह की धोखाधड़ी पर रोक लगाने की खातिर व्यापारियों के लिए दंडात्मक प्रावधान बनाए गए हैं।</p> <p>व्यापारियों के लिए दंडात्मक प्रावधान से किसी तरह के छलपूर्ण उद्देश्य पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।</p>
6	<p>क. “एपीएमसी मंडियों को राजस्व का नुकसान”</p> <p>ख. “यह कानून राज्यों के लिए कृषि व्यापार से राजस्व सृजन के रास्ते बंद कर देगा और एपीएमसी बंद हो जाएंगे।”</p>	<p>राज्य/एपीएमसी के पास राज्य विधायिका के अनुरूप बाजार अहाते/उप अहाते में मंडी शुल्क और दूसरे शुल्क लगाने की शक्तियां बनी रहेंगी।</p> <p>राज्य एपीएमसी अधिनियम और इस तरह के कानूनों के तहत स्थापित संस्थान काम करना जारी रखेंगे और इस सुधार अध्यादेश से उनपर किसी भी तरह से असर नहीं पड़ता है।</p> <p>बल्कि, एपीएमसी बाजारों की अन्य खरीददारों से प्रतिस्पर्धा की क्षमता और बढ़ेगी और यह किसानों को राजस्व वृद्धि में सहयोग के लिए प्रेरित करेगी।</p> <p>एपीएमसी बाजारों के पास खेती के तरीकों की समझदारी होगी और उनके एजेंटों का किसानों से पहले ही संपर्क होगा। इसलिए यहां एजेंटों की भूमिका एपीएमसी बाजारों को अधिक कारगर और प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण रहेगी।</p>

कृषि कृषि कृषि

वितरण

मि




भ्रम और सच्चाई


कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार कानून 2020- अनुबंध खेती कानून

क्रमांक	भ्रम	सच्चाई
1	कॉरपोरेट किसानों की जमीन हथिया लेंगे और किसानों को अंत में मजदूरी करनी पड़ेगी।	अनुबंध फसल के लिए होगा जमीन के लिए नहीं। यह कानून स्पष्ट रूप से किसान की जमीन या परिसर की बिक्री, पट्टे और बंधक सहित किसी भी तरह के हस्तांतरण की मंजूरी नहीं देता। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि खरीददार/प्रायोजक/कॉरपोरेट के किसानों की जमीन के मालिकाना हक हासिल करने या स्थायी बदलाव करने पर रोक होगी।
2	कानून किसानों को कॉरपोरेट के खिलाफ कोई कानूनी सुरक्षा प्रदान नहीं करता। अनुबंधकर्ता रिकवरी के तौर पर किसानों की जमीन हथिया लेंगे।	विवाद निवारण के लिए इस कानून में प्रभावी तंत्र का प्रावधान है। कुछ किसानों को व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के जरिए पहले ही मुआवजा मिल चुका है। बकाया राशि की वसूली किसानों की जमीन से नहीं की जाएगी। किसानों की जमीन सुरक्षित है, चाहे कैसी भी स्थिति हो।
3	कानून किसानों के लिए कीमत की कोई गारंटी नहीं प्रदान करता।	कानून में करार के समय ही कृषि उपज की कीमत तय करने का स्पष्ट प्रावधान है। इसमें किसानों को आरंभ में ही करार में तय की गई कीमत मिलने की गारंटी होगी। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर किसी स्थिति में इस तरह की कीमत में बदलाव आता है, तो करार से इस तरह की उपज के लिए निश्चित कीमत की व्यवस्था होगी। अगर खरीददार करार का पालन नहीं करता और किसान को भुगतान नहीं करता तो दंड के रूप में उसे बकाया राशि का डेढ़ गुना तक देना पड़ सकता है। कुछ किसानों को पहले ही इससे लाभ हो चुका है।
4	बड़ी कंपनियां अनुबंध के नाम पर किसानों का उत्पीड़न करेंगी।	अनुबंध समझौता यह निश्चित करेगा कि किसानों को तय कीमत मिले। किसान किसी भी समय अनुबंध से पीछे हट सकते हैं और इसके लिए उन्हें कोई जुर्माना भी नहीं देना होगा।
5	भारत में इस तरह की करार आधारित कृषि पहल को इससे पहले कभी आजमाया नहीं गया है।	पंजाब, तमिलनाडु और ओडिशा में पहले से ही अनुबंध खेती से जुड़े कानून हैं।

कृषि सुधारों पर सहमति और परामर्श का विवरण

कृषि बाजारों में सुधार संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में एकमात्र सुधार है, जिस पर दो दशकों से विभिन्न दलों की सरकारों ने चर्चा की है और जिसमें किसान यूनियनों सहित सभी पक्षों ने एक ही दिशा में बढ़ना चाहा है।





परामर्श-विमर्श के दो दशक

2002-2003 (प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में NDA सरकार)

कृषि मंत्रालय ने शंकरलाल गुरू की अध्यक्षता में दिसंबर, 2000 में एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की। इसका उद्देश्य कृषि विपणन प्रणाली को और अधिक सक्षम और स्पर्धी बनाने के उपायों की सिफारिश करना था। समिति ने जून, 2001 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की जांच करने और उन्हें लागू करने के उपायों पर सुझाव देने के लिए, कृषि मंत्रालय ने जुलाई, 2001 को अंतर-मंत्रालय कार्यबल का गठन किया। जिसने जून, 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अंतर-मंत्रालय कार्यबल द्वारा सुझाए गए कदम इस प्रकार थे:

- प्रतिस्पर्धी बाजार प्रणाली में रुकावट डालने वाले प्रावधानों को समाप्त करना
- सीधी मार्केटिंग को प्रोत्साहन
- अनुबंध खेती को प्रोत्साहन
- बाजार शुल्क और कर ढांचे को विवेकसंगत बनाया जाना
- राष्ट्रीय एकीकृत बाजार में सहायता करना

इन सिफारिशों के परिणामस्वरूप मॉडल एपीएमसी कानून 2003 को पारित किया गया, जिसमें राज्य सरकारों को इस मॉडल कानून के अनुरूप अपने निजी राज्य कानूनों में संशोधन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

2004-2014 (प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में UPA सरकार)

कृषि मंत्रालय ने एक एपीएमसी कानून, 2003 के आधार पर मॉडल एपीएमसी नियम 2007 तैयार किया और विभिन्न राज्य सरकारों से उसे अपनाने का आह्वान किया।

कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों द्वारा शासित विभिन्न राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र ने मॉडल एपीएमसी कानून, 2003 को वर्ष 2005 से 2011 के बीच अलग-अलग समय पर अपनाया।

यूपीए सरकार ने एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 2006 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना की, जिसने अपनी रिपोर्ट में एकीकृत राष्ट्रीय बाजार को बढ़ावा देने की सिफारिश की।

कृषि विपणन में सुधार को लेकर कृषि मंत्री शरद पवार ने मार्च, 2010 में हर्षवर्धन पाटिल (महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार में कृषि मंत्री) की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया था और इसमें 10 राज्यों के मंत्री भी शामिल थे।

इसके साथ ही, शरद पवार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अगस्त, 2010 में पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वह मॉडल एपीएमसी कानून, 2003 के अनुसार सुधारों को लागू करें। अन्य बातों के अलावा शरद पवार द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया था कि मौजूदा एपीएमसी कानून में मॉडल एपीएमसी कानून 2003 के अनुसार संशोधन करने की जरूरत है, ताकि किसानों और उत्पादकों के समग्र हित में वैकल्पिक प्रतिस्पर्धा विपणन चैनल उपलब्ध कराने में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि पूरा ध्यान सिर्फ उपभोक्ताओं पर ही केंद्रित नहीं किया जा सकता।

शरद पवार ने मई, 2012 में कृषि विपणन सुधारों के बारे में पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए राज्यसभा में यही विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ सुधार हैं जो पहले ही स्वीकार किए जा चुके हैं - उदाहरण के लिए कृषि खरीददारी को उदार बनाने के संबंध में की गई सिफारिश - हमने राज्यों के सभी सहकारिता मंत्रियों से एपीएमसी कानून में सुधार करने के लिए अनुरोध किया है।

2010 में गठित पाटिल समिति ने 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अनुबंध खेती की प्रक्रिया को आसान बनाने, कटाई उपरांत अवसंरचना (पोस्ट-हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर) के विकास में निवेश करने, बाधा मुक्त राष्ट्रीय बाजार बनाने, फलों और सब्जियों पर बाजार शुल्क में छूट देने आदि सुझाव शामिल थे।

2014-20 (प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार)

नई एनडीए सरकार ने विभिन्न प्रस्तावों पर ठोस निर्णय लेने के लिए दलवाई समिति का गठन किया। समिति ने व्यापक परामर्श के बाद नया कृषि विपणन कानून 2017 अपनाए की सिफारिश की।

नया मॉडल कृषि विपणन कानून 2017 से 11 राज्यों – अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, असम, नागालैंड, मेघालय, ओडिशा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, गोवा, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश द्वारा पूरी तरह से अपनाया गया।

छह राज्यों – हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने मॉडल कृषि विपणन कानून 2017 को आंशिक रूप से अपनाया।

उत्पादकों और अनुबंध कृषि के प्रायोजकों के हितों की सुरक्षा के लिए दूसरी दलवाई समिति का 2018 में गठन किया गया था। इस दूसरी दलवाई समिति ने अन्य मॉडल कानून की सिफारिश की जिसका संबंध अनुबंध खेती से है।

मॉडल अनुबंध कृषि कानून मई, 2018 में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को भेजा गया। तमिलनाडु और ओडिशा ने इस मॉडल अनुबंध कृषि कानून, 2018 को अपनाया।

अनेक राज्यों में अनुबंध खेती की अनौपचारिक पद्धति पहले से ही मौजूद है। पंजाब में 2013 से ही एक अलग अनुबंध खेती कानून मौजूद है।

सुधार लागू करने और राज्यों के विचार जानने के लिए जून, 2019 में भारतीय कृषि का कार्याकल्प करने के लक्ष्य से मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया था।

कृषि पर संसदीय स्थायी समितियों द्वारा भी विपणन सुधारों की कमी के कारण किसानों के सामने आ रही समस्याओं का उल्लेख किया गया था। इन समितियों की सिफारिशें भी पिछले दो दशकों में की गई सिफारिशों जैसी ही थीं।

इस क्रम से यह स्पष्ट है कि दो दशकों से कृषि विपणन सुधारों पर व्यापक परामर्श और विचार मंथन हुआ है, जिसके दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतृत्व वाली अनेक सरकारें इसी दिशा में आगे बढ़ी हैं और उन्होंने इसी प्रकार की सिफारिशों की हैं।

इस प्रक्रिया के समापन के रूप में इन अध्यादेशों के बारे में राज्यों के साथ 21 मई को विचार-विमर्श के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 जून, 2020 को दो अध्यादेश लागू करने की मंजूरी दी।

कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अध्यादेश, 2020

कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020

अध्यादेश लागू होने के बाद भारत सरकार ने 'वन नेशन, वन मार्केट' के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने और इन अध्यादेशों के लाभों के बारे में जानकारी देने के लिए किसान समुदायों, किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी संस्थाओं को संवेदनशील बनाने के लिए कार्य किया।

बहस और चर्चा के बाद लोकसभा ने दोनों बिल 17 सितंबर, 2020 को तथा राज्यसभा ने 20 सितंबर, 2020 को पारित कर दिए।

2010 में सुधार की कोशिश की,

शरद पवार
SHARAD PAWAR



D.O. No. 1156 /AM
कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य और
सार्वजनिक वितरण मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF AGRICULTURE
& CONSUMER AFFAIRS
FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
GOVERNMENT OF INDIA
D.O.No.P.14018/1/2008-MPDC
//th August, 2010

My Dear Sheila:

As you are aware, the agriculture sector needs well-functioning markets to drive growth, employment and economic prosperity in rural areas of the country. This requires huge investments in marketing infrastructure including cold chain. And for this, private sector participation is essential, for which an appropriate regulatory and policy environment needs to be in place.

In this context, the need to amend the present State APMC Act on the lines of Model State Agricultural Produce Marketing (Development & Regulation) Act, 2003 to encourage the private sector in providing alternative competitive marketing channels in the overall interest of farmers/producers and consumers cannot be overemphasized. You may kindly recall in this regard my earlier letter No. 16011/4/2004-M.II dated 25th May, 2005 and letter No. T. 14018/4/2007-MPDC dated 12th June, 2007. I may mention that the Ministry of Agriculture has also circulated Draft Model APMC Rules, 2007 to all the States/UTs for their guidance and adoption as appropriate.

I wish to draw your personal attention to this matter of considerable importance to the agriculture sector and the well being of the farmers and request that suitable direction may be given for taking necessary steps without further delay.

With regards,

Yours Sincerely

(SHARAD PAWAR)

Smt. Sheila Dikshit,
Chief Minister,
Government of NCT of Delhi,
IP Estate,
New Delhi.

जारी किया गया
ISSUED

2020 में अधिनियमित किया गया

शरद पवार
SHARAD PAWAR



D.O. No. 2768 /AM
कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्र
भारत सरकार
MINISTER OF AGRICULTURE &
FOOD PROCESSING INDUSTRIES
GOVERNMENT OF INDIA

No.22012/17/2011-M.I
November, 2011

My Dear Shri Shivraj Singh,

You will undoubtedly agree that the agriculture sector needs well-functioning markets to drive inclusive growth, employment and economic prosperity in rural area of the country. This requires investments in post-harvest and marketing infrastructure including cold-chain logistics from farm gate to the consumer. The Private sector needs to play an important role in this regard. An appropriate regulatory and policy environment, therefore, needs to be in place for the purpose.

In this context, there is a need to amend the present APMC Act on the lines of Model APMC Act 2003 in order to encourage private sector investment in marketing infrastructure and providing alternate competing marketing channels in the overall interest of the farmers, consumers and agricultural trade. I am sure that this will mean reduced intermediation costs and post-harvest losses as well as enhanced supply of the produce and greater farmer share in consumers' price.

The Government of India had constituted a Committee of State Agriculture Marketing Ministers in March, 2010 to promote agriculture marketing in the country and to persuade States and UTs to adopt model APMC Act. The Committee has since submitted its First Report in September, 2011 which has already been sent to you. State vide letter No.T14018/4/2010-MPDC/PC dated 19.9.2011. I would request you to also look into this report and consider its implementation in right earnest.

The Ministry of Agriculture has been consistently pursuing this issue with you State at various levels. However, there has been tardy progress in the reforms which have been undertaken only in a few areas. I, therefore, wish to draw your personal attention to this matter of considerable importance to the Indian economy and particularly, the agriculture sector.

With regards,

Yours

(SHARAD PAWAR)

Shri Shivraj Singh Chouhan,
Chief Minister,
Madhya Pradesh,
Bhopal.

2011
18/11/11



कृषि सुधार किसान और ग्रामीण युवा दोनों के लिए मददगार

"इन सुधारों से कृषि में निवेश बढ़ेगा, किसानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलेगी, किसानों के उत्पाद और आसानी से अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचेंगे। मुझे बताया गया है कि यहां बिहार में हाल ही में 5 कृषि उत्पादक संघों ने मिलकर, चावल बेचने वाली एक बहुत मशहूर कंपनी के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत 4 हजार टन धान, वो कंपनी, बिहार के इन 'FPOs' से खरीदेगी। अब इन 'FPOs' से जुड़े किसानों को मंडी नहीं जाना पड़ेगा। उनकी उपज अब सीधे नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचेगी। साफ है कि इन सुधारों के बाद, खेती से जुड़े बहुत सारे छोटे-बड़े उद्योगों के लिए बहुत बड़ा मार्ग खुलेगा, ग्रामीण उद्योगों की ओर देश आगे बढ़ेगा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए, कोई नौजवान एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई स्टार्ट-अप शुरू करना चाहता है। वो चिप्स की फैक्ट्री ही खोलना चाहता है। अभी तक ज्यादातर जगह होता ये था कि पहले उसे मंडी में जाकर आलू खरीदने होते थे, फिर वो अपना काम शुरू कर पाता था। लेकिन अब वो नौजवान, जो नए-नए सपने लेकर आया है वो सीधे गांव के किसान के पास जाकर उससे आलू के लिए समझौता कर सकेगा। वो किसान को बताएगा कि मुझे इस क्वालिटी का आलू चाहिए, इतना आलू चाहिए। वो किसान को अच्छी क्वालिटी के आलू पैदा करने में हर तरह की तकनीकी सहायता भी करेगा।"

21 सितम्बर 2020 को बिहार के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वक्तव्य

किसानों को नए बाजार मिलेंगे

"किसान के उत्पाद की मार्केटिंग के क्षेत्र में हाल में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, उससे भी किसानों को बहुत लाभ होगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्ध होंगे, उनकी आय बढ़ेगी और खराब मौसम के कारण, स्टोरेज के अभाव के कारण उनको जो नुकसान होता था, उसे भी हम कम कर पाएंगे। जब किसान की आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से डिमांड भी बढ़ेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था भी गति पकड़ेगी। विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट और हमारे आदिवासी इलाकों में फार्मिंग और Horticulture के लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हों, Bamboo Products हों, दूसरे Tribal Products हों, उनके लिए नए मार्केट का द्वार खुलने वाला है।"

कोविड-19 के विषय पर मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के दौरान 16 जून, 2020 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वक्तव्य

आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान

"आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान भी उतना ही जरूरी है। लेकिन इतने वर्षों से हमारे देश में कृषि और किसान को बेवजह के नियमों और कानूनों से बांधकर रखा गया था। आप सब किसान साथी जो मेरे सामने बैठे हैं, आप तो खुद ही इतने सालों से इस बेबसी को महसूस कर रहे होंगे!

किसान अपनी फसल कहाँ बेच सकता है, अपनी फसल को स्टोर कर सकता है या नहीं, ये भी तय करने का अधिकार किसान को नहीं दिया गया था। इस तरह के भेदभाव वाले कानूनों को हमने दो सप्ताह पहले खत्म कर दिया है! अब आप कहाँ फसल बेचेंगे, ये सरकार तय नहीं करेगी, अधिकारी तय नहीं करेंगे, बल्कि किसान खुद तय करेगा।

अब किसान अपने राज्य के बाहर भी अपनी फसल बेच सकता है, और किसी भी बाज़ार में बेच सकता है! अब आप अपनी उपज का अच्छा दाम देने वाले व्यापारियों से, कंपनियों से सीधे जुड़ सकते हैं, उन्हें सीधे अपनी फसल बेच सकते हैं। पहले जो कानून फसल के स्टॉक करने पर रोक लगाता था, अब उस कानून में भी परिवर्तन कर दिया गया है।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज में किसानों की फसल रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनें, किसानों को सीधे बाज़ार से जोड़ा जाए, इसके लिए भी 1 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की गई है। जब किसान बाज़ार से जुड़ेगा, तो अपनी फसल को ज्यादा दामों पर बेचने के रास्ते भी खुलेंगे।"

20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वक्तव्य

उद्योग के साथ साझेदारी के जरिए किसानों के लिए आय सुरक्षा

"इसी तरह एक और नया कानून जो बना है, उससे किसान अब उद्योगों से सीधे साझेदारी भी कर सकता है। अब जैसे आलू का किसान चिप्स बनाने वालों से, फल उत्पादक यानी बागवान जूस, मुरब्बा, चटनी जैसे उत्पाद बनाने वाले उद्योगों से साझेदारी कर सकते हैं। इससे किसान को फसल की बुवाई के समय तय दाम मिलेंगे, जिससे उसको कीमतों में होने वाली गिरावट से राहत मिल जाएगी।"

कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण सुविधा के शुभारंभ पर 09 अगस्त, 2020 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वक्तव्य

लाभार्थियों के अनुभव

देश के विभिन्न राज्यों में किसानों की बाजार तक पहुंच से जुड़ी कई सफल कहानियां पहले ही मौजूद हैं।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के करीब 1,300 किसानों ने फॉर्च्यून राइस कंपनी के साथ समझौता किया है। जिसके तहत वह निर्यात के योग्य धान की उपज करेंगे। इसके जरिए उनकी आय में 15-20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

उत्तरी गुजरात में करीब 2,500 आलू किसानों ने आलू प्रसंस्करण करने वाली कंपनी हाईफन फूड्स के साथ समझौता किया है। जिसके जरिए वह प्रति एकड़ 40 हजार रुपये से ज्यादा की अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं।

पंजाब, उत्तरी हरियाणा और पश्चिमी यूपी के 1,000 से ज्यादा किसानों ने टेक्नो एग्री साइसेंज लिमिटेड के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत किसानों को लागत से 35 प्रतिशत ज्यादा की कीमत गारंटी के साथ मिल रही है।





प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हमेशा से किसानों के कल्याण के लिए वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीकों को अपनाती रही है। सरकार, किसानों की जरूरतों को समझते हुए फैसले लेती है। जिससे किसानों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।



2014 से किसानों की आय दोगुनी करने की ओर अग्रसर

किसानों की जरूरतें ये हैं

- कृषि बजट
- दीर्घकालिक कृषि (सस्टेनेबल फार्मिंग) और मृदा स्वास्थ्य (सॉयल हेल्थ)
- कर्ज की सहज उपलब्धता
- पानी और बिजली
- संकट के समय सहायता
- बीमा
- न्यूनतम समर्थन मूल्य
- बाजार तक पहुंच
- कीमत में इजाफा और अनुकूल वातावरण तैयार करना
- अतिरिक्त आय के अवसर
- वित्तीय सुरक्षा

मोदी सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य इन सभी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं।

कृषि बजट

कृषि के लिए बजट तय किया जाना साफ तौर पर सरकार की प्राथमिकता दर्शाता है। पिछले कई वर्षों से पुरानी सरकारें केवल किसानों के हित में काम करने की बातें करती आई हैं। लेकिन सिर्फ किसानों के हितों के बारे में बातें करना काफी नहीं। किसानों के हितों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा निवेश की आवश्यकता भी होती है। किसानों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करने के साथ-साथ उनके कल्याण के लिए कदम उठाना भी जरूरी है। इन सब के लिए बजट की जरूरत होती है।

मोदी सरकार ने किसानों से जुड़े सभी क्षेत्रों में रिकॉर्ड बजट तय किया है। सरकार ने 2009-14 की तुलना में 2014-19 के बीच किसानों के लिए दोगुना बजट तय किया है। किसानों को दिए जाने वाले कृषि कर्ज की राशि का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर को छू चुका है और यही स्थिति उन्हें दिए जाने वाले वास्तविक कर्ज की भी है। पीएम-किसान जैसी योजनाओं के जरिए, छोटे और सीमांत किसानों को अतिरिक्त आय का जरिया मिला है। किसानों के खेतों के निकट बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए भी भारी निवेश किया गया है। यह भी किसान कल्याण के लिए जरूरी है।

रिकॉर्ड निवेश से रिकॉर्ड नतीजे

किसान केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए मोदी सरकार ने बजट में कृषि के लिए लगभग दोगुनी राशि तय की। यह राशि 2009-14 के दौरान 1.21 लाख करोड़ रुपये थी जो 2014-19 में बढ़ाकर 2.11 लाख करोड़ रुपये कर दी गई।

इसी कड़ी में वर्ष 2020-21 के लिए कृषि क्षेत्र के लिए 1.34 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जो कि यूपीए के दूसरे कार्यकाल के 5 वर्षों के दौरान किए गए कुल आवंटन से भी कहीं ज्यादा है।

प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को सीधे तौर पर मिलने वाली सहायता राशि में पहले की तुलना में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। इस योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि निर्धारित की गई है, जिसमें से किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता धनराशि दी जाती है।


खेतों के पास बुनियादी ढांचे का विकास किसान हित की दिशा में प्रमुख कदम है। इस उद्देश्य के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष का गठन किया गया है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सभी 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, उत्पादन लागत से 50 प्रतिशत ज्यादा पहुंच गया है।

रबी मौसम-2020 में अगर हम गेहूँ, धान, तिलहन और दालों की खरीद को एक साथ जोड़ दें, तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के रूप में 1.13 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 30 प्रतिशत ज्यादा है।



किसान हितैषी



गांव पर दांव
 मोदी सरकार ने प्राथमिक इलाकों पर दावा किया है-सूट-बूट वाली अपनी छवि बदली जायगी क्या वह इन्हें कामयाब हो पाएगी

गांव की राह पर सरकार

विनीत कर्मांडा ने आज सुबह मोदी सरकार को जल्दी से बिना और सुधारों के पेश करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को गांवों पर दांव खेना चाहिए।

सा... गांवों में 10 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। गांवों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। गांवों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देना है। गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना है। गांवों में कृषि और कृषि-संबंधी उद्योगों को बढ़ावा देना है। गांवों में ग्रामीण बैंकों को बढ़ावा देना है। गांवों में ग्रामीण ऋण को बढ़ावा देना है। गांवों में ग्रामीण ऋण को बढ़ावा देना है।



COVER STORY

INDO-PAK

हम नए ग्रामीण बैंक बना सकते हैं। इसलिए, ग्रामीण ऋण को बढ़ावा देना है। गांवों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। गांवों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देना है। गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना है। गांवों में कृषि और कृषि-संबंधी उद्योगों को बढ़ावा देना है। गांवों में ग्रामीण बैंकों को बढ़ावा देना है। गांवों में ग्रामीण ऋण को बढ़ावा देना है। गांवों में ग्रामीण ऋण को बढ़ावा देना है।

ROADS
 19,500 crore for total road construction (up from 15,000 crore in budget) **100% growth**
 60,000-80,000 additional miles will be paved
 The job and transport infrastructure is being re-examined

PORTS
 1000 crore for development of waterways and ports
 This will make ports modern and increase their efficiency. Help launch port-led projects in under-served coastal areas

NEW POWER
 1,100 crore to augment investment in nuclear power generation
 This will include the cost of power generation for long term safety

OTHER SECTORS
 A bundle of projects will open up the road network for private tender
 A Public Utility (Division of Electricity) Bill is being introduced in the cabinet

INFRASTRUCTURE
₹21,246 CRORE

कृषि और किसान कल्याण कोष के लिए 44,485 करोड़ रु.
 2017-18 में 30,000 करोड़ रु. (वित्तियोग) का अंतराल है।
 94% पैसे

कृषि

कृषि

कृषि

कृषि

जम्मो विधानसभा के लिए 87,765 करोड़ रु.
 2017-18 में 79,526 करोड़ रु.
 10.4% की घटि

कृषि

DEMOGRAPHY & DEMAND

hindustantimes

union budget 2016

VILLAGES NEED A HUGE PUSH

Fast enough growth has slipped over the past year. But notably, overlooked such as carpenters command greater wages, reinforcing the argument for skills development

FM SPEAK

IN SPITE OF THE CONSENSUAL REDUCED FISCAL SPACE FOR THE GOVT, THE BUDGET HAS DECIDED TO CONTINUE SUPPORTING NATIONAL PRIORITIES SUCH AS AGRICULTURE, EDUCATION, HEALTH, AFFORDABLE HOUSING, INFRASTRUCTURE

NATIONAL AGRI MARKET, SOIL TESTING COMING UP

HELPING HAND

Farm credit, rural infra funding rise

The Economic Times - Delhi | 02/02/2018 | 8

GOVT VOWS MAX SUPPORT TO FARMERS

FIGHTING RURAL DISTRESS 23 major crops to be procured under MSP at 1.5 times input cost; farm leaders welcome move

दीर्घकालिक खेती (सस्टेनेबल फार्मिंग) और मृदा स्वास्थ्य (सॉयल हेल्थ)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार का केंद्र बिंदु दीर्घकालिक (सस्टेनेबल) विकास रहा है। चाहे वो उद्योग क्षेत्र में हो या कृषि क्षेत्र में, उन्होंने हमेशा उस प्रगति की कल्पना की है जो पर्यावरण और हमारे भविष्य के लिए भी स्वस्थ हो।

यदि किसानों का भविष्य सुरक्षित रखना है, तो सरकारों को खेती की दीर्घकालीन तकनीकों पर ध्यान देना चाहिए। परिणामस्वरूप, जैविक खेती को मोदी सरकार की नीतियों की वजह से ऐसा बढ़ावा मिला है जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल - परम्परागत कृषि विकास योजना - इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रही है।

किसान कल्याण का आधार मृदा स्वास्थ्य है। सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की है, जिसने करोड़ों किसानों को मिट्टी और इसकी संरचना को समझने में मदद की है। इससे उन्हें यह तय करने में मदद मिलती है कि खेत में कौन सी फसल लगानी है, कितनी खाद का उपयोग करना है। एक समय में यूरिया को अवैध रूप से उद्योगों को उपलब्ध करा दिया जाता था जिसके कारण किसानों को यूरिया प्राप्त करने में बड़ी समस्या होती थी। किसानों को हमेशा लाइनों में इंतजार करना पड़ता था और अक्सर समय पर यूरिया ना मिल पाने के कारण यह कानून और व्यवस्था का विषय बन जाता था। यह सब अब इतिहास की बात है। 100 प्रतिशत नीम संलेपित यूरिया की शुरुआत के साथ एक छोटा सा लेकिन क्रांतिकारी सुधार हुआ है।



मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को विज्ञान की सौगात है

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान नरेन्द्र मोदी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के रूप में एक महत्वपूर्ण पहल की थी। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इस पहल को 2014-15 में आगे बढ़ाया।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनके खेत की मिट्टी की स्थिति और उसमें मौजूद पोषक तत्वों के बारे में जानकारी देता है। यह खाद की मात्रा तय करने और अन्य जरूरी बदलावों में मदद करता है।

देशभर में सैकड़ों प्रयोगशालाओं में मिट्टी की जांच का काम किया जाता है और किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है, जो किसानों को खेती के बारे में फैसले लेने में सहायता करती है।

पहले चरण में 10.74 करोड़ किसानों को और दूसरे चरण में 11.75 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड निःशुल्क जारी किए गए हैं।

आसानी से खाद की उपलब्धता

रसायनों के कम उपयोग और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए 2015-16 में 100 प्रतिशत नीम युक्त (Neem Coated) यूरिया को लाया गया। इस कदम से गैर-कृषि कामों के लिए यूरिया दिए जाने की प्रवृत्ति में कमी आई।

इससे नाइट्रोजन के इस्तेमाल में भी वृद्धि हुई और फसल की उपज बढ़ाने में भी मदद मिली।

नई यूरिया नीति की शुरुआत के बाद से यूरिया उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है।

मोदी सरकार तलचर, रामागुंडम, गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में बंद पड़े खाद कारखानों को दोबारा शुरू कर रही है। इससे किसानों को जरूरी मात्रा में खाद और रोजगार पाने में मदद मिलेगी।

गैर यूरिया खाद की कीमत में काफी गिरावट आई है, जिससे किसानों के हजारों करोड़ों रुपये की बचत के साथ-साथ खाद के संतुलित इस्तेमाल को भी बढ़ावा मिला है।



जैविक खेती को बढ़ावा

वर्ष 2015-16 में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत किसानों की लागत जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।

इस योजना के तहत 6.19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है और 15.47 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है।

पूर्वोत्तर भारत की जलवायु शुरू से ही जैविक खेती के अनुकूल रही है। इसी खासियत को देखते हुए पूर्वोत्तर भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन की शुरुआत की गई है। इसी के तहत 169 किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ) का गठन किया गया है जिससे 83,096 किसान जुड़े हुए हैं। इसके अंतर्गत 79,455 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है।

संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, दुबई, स्वाजीलैंड को अदरक, हल्दी, मिर्च, प्रसंस्कृत अनानास आदि का निर्यात किया गया है। काले थाई अदरक और औषधीय पौधों की अनुबंध पर खेती शुरू की गई है।

जीरो बजट खेती को बढ़ावा

जीरो बजट खेती ऐसी खेती है जिसमें रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा इसमें किसान को अपनी लागत, खेती के जरिए ही वसूल हो जाती है। यानी उस पर कोई अतिरिक्त देनदारी नहीं रहती है।

इसके जरिए छोटे और सीमांत किसान के लिए भी खेती एक फायदे का सौदा बन जाती है और वह कर्ज के जाल में नहीं फंसता है।

चूंकि शुरुआत से जीरो बजट खेती में प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यह एक प्राकृतिक तरीके से की जाने वाली टिकाऊ खेती का तरीका है।

मोदी सरकार किसानों को भले ही खाद उपलब्ध करा रही है लेकिन वह उन्हें भविष्य के लिए भी तैयार कर रही है। ऐसे में जो किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहते वह परंपरागत खेती के तरीकों का इस्तेमाल कर सकेंगे।

कर्ज की सहज उपलब्धता

किसानों द्वारा पूंजी के रूप में उपयोग के लिए ऋण की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैंक ऋण की सहज सुविधा से किसानों के विकास और कल्याण के अधिक अवसर सुनिश्चित होंगे।

दशकों तक किसान को कर्ज प्राप्त करने के लिए काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। वे साहूकारों से मनमाने ब्याज पर कर्ज लेने को मजबूर रहते थे, जिसके कारण उन्हें अत्यधिक परेशानी झेलनी पड़ती थी।

इस वजह से किसान कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाया करते थे। कृषि को लाभप्रद बनाने के लिए जरूरी धन का अभाव होने के कारण उन्हें और ज्यादा कर्ज लेना पड़ता था और फिर इसी कर्ज जाल में वे और भी अधिक उलझते चले जाते थे।

मोदी सरकार ने कुल कृषि कर्ज के साथ-साथ उसका दायरा भी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। जहां एक ओर कृषि कर्ज का लक्ष्य रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, वहीं दूसरी ओर किसानों द्वारा बैंकों से लिया गया कुल कर्ज भी केवल 6 वर्षों में ही लगभग दोगुना हो गया है। किसान क्रेडिट कार्डों की बढ़ोतरी भी किसानों तक सरकार की पहुंच में बढ़ोतरी हुई है।



किसानों के लिए कर्ज की सुविधा

वर्ष 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह रिकॉर्ड राशि है।

किसानों ने 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपए की राशि कर्ज के रूप में ली जो 2019-20 में बढ़कर 13.73 लाख करोड़ रुपए हो गई। इस तरह से निजी कर्ज देने वालों के चंगुल से अधिक से अधिक किसानों को बचाया जा सका है।

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए के रियायती कर्ज भी दिलाने का विचार है।

रियायती कर्ज दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। प्रधानमंत्री-किसान डाटा बेस की तुलना किसान क्रेडिट कार्ड डाटा बेस से की गई है तथा वंचित किसानों की पहचान कर उन तक सुविधा पहुंचाई जा रही है।

इस अभियान में 1.6 करोड़ नए किसानों को 1.35 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज दिलाया गया है।

ब्याज में रियायत का लाभ किसानों की पशुपालन और मछली पालन जैसी सहायक गतिविधियों के लिए धन की जरूरत को पूरा करने के लिए दिया गया है।

खरीददारों से किसान तय कीमत प्राप्त कर सकते हैं

“दशकों से किसानों के पक्ष में तीन प्रमुख सुधारों की निरंतर मांग की जा रही है। अब सरकार द्वारा तीन सुधारों को लागू किए जाने से किसानों को अपनी उपज मंडियों के अलावा अन्य स्थानों पर भी बेचने की सुविधा मिल गई है। इसका अर्थ है कि किसान अपनी उपज को जहां कहीं भी बेहतर कीमत मिलेगी वहां बेच सकते हैं। दूसरा, यदि किसान चाहते हैं तो बुवाई के समय ही अपनी फसल की कीमत तय कर सकते हैं।

अब आलू उत्पादक किसान चिप्स निर्माता उद्योग के साथ, वहीं आम उत्पादक किसान आम का जूस बनाने वाले उद्योगों के साथ तो टमाटर उत्पादक किसान सॉस बनाने वाले उद्योग के साथ अपनी फसलों की बुवाई के समय ही करार कर सकते हैं। इससे किसानों को तय कीमत मिलेगी और फसलों की कीमत गिरने की चिंता से भी उन्हें निजात मिल सकेगी।”

आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारम्भ करते हुए 26 जून 2020 को
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वक्तव्य का अंश


कृषि सुधारों के बाद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली और मजबूत हो रही है

“हाल में समाप्त हुए रबी फसल विपणन मौसम में सरकार ने 389.9 लाख मीट्रिक टन गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की है, जो कि एक कीर्तिमान है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसानों को 75,055 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।

जारी खरीफ विपणन मौसम में 159.5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि तक 134.5 लाख मीट्रिक टन थी और यह 18.62% की वृद्धि है। यह सब हमारे तीन अध्यादेश लाने के बाद हुआ है, जो कि अब संसद द्वारा पारित कर दिए गए हैं।

यूपीए के दूसरे कार्यकाल के 5 वर्षों (2009-10 से 2013-14) और मोदी सरकार के पिछले पांच वर्षों के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान में बड़ा अंतर साफ तौर पर देखा जा सकता है। यूपीए-2 के पांच वर्षों की तुलना में मोदी सरकार में किसानों को पिछले पांच वर्षों में धान के लिए 1.5 गुना, गेहूं के लिए 1.3 गुना, दलहनों के लिए 75 गुना और तिलहनों के लिए 10 गुना ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया है। अतः यह स्वयं साबित करता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म किए जाने जैसी बातें कितनी बेबुनियादी और झूठी हैं।”

29 अक्टूबर 2020 को इकोनॉमिक टाइम्स को दिए साक्षात्कार में
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वक्तव्य



किसान हितैषी सुधारों के पीछे द्विपक्षीय सहमति

"विशेषज्ञ लंबे समय से इन सुधारों के लिए आवाज उठा रहे थे। यहां तक कि राजनीतिक दल भी इन सुधारों के नाम पर वोट मांगते आ रहे थे। हर कोई चाहता था कि यह सुधार होने चाहिए। दरअसल असली वजह यह है कि विपक्षी दल यह नहीं चाहते कि हमें इसका श्रेय प्राप्त हो।

हम भी श्रेय नहीं चाहते। किसानों और श्रमिकों के कल्याण के लिए हमने यह सुधार किए हैं। हमारे पिछले कार्य को देखते हुए वह हमें समझते हैं और हमारी नीयत पर उनको पूरा भरोसा है।

पिछले 6 वर्षों के दौरान हमने कृषि के क्षेत्र में एक के बाद एक सुधार किए हैं। इस प्रकार से हमने जो आज किया है, वह उन्हीं कार्यों की अगली कड़ी है जो हमने 2014 में शुरू किए थे। हमने कई बार न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है और वास्तव में कई बार हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से पिछली कई सरकारों के मुकाबले अधिक खरीद की है। सिंचाई और बीमा के क्षेत्र में बहुत व्यापक सुधार किया है। किसानों के लिए सीधी नकद सहायता भी हमने सुनिश्चित की है।

भारतीय कृषि में यह कमी है कि हमारे किसानों को उनके खून-पसीने की मेहनत के बदले में उचित मुनाफा नहीं मिलता। सुधारों के द्वारा इस तरह का ढांचा खड़ा किया गया है जो हमारे किसानों के लाभ में अच्छी खासी वृद्धि करेगा। जैसा अन्य उद्योग में होता है एक बार जो मुनाफा प्राप्त होता है उसे उसी क्षेत्र में अधिक उत्पाद हासिल करने के लिए दोबारा लगा दिया जाता है। लाभ और उसके फिर से निवेश का एक लाभकारी चक्र बनता है। कृषि के क्षेत्र में भी यह चक्र अधिक निवेश, नई पहल और नई प्रौद्योगिकी के लिए दरवाजे खोलेगा। ना केवल कृषि क्षेत्र के लिए बल्कि समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए इन सुधारों में बहुत संभावनाएं हैं।"

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 29 अक्टूबर 2020 को इकोनॉमिक टाइम्स को दिए साक्षात्कार का अंश

पानी और बिजली

पानी और बिजली किसानों की दो आपस में जुड़ी हुई जरूरतें हैं। किसानों की बिजली की मांग वास्तव में पानी की उपलब्धता की मांग है। उन्हें अपने खेतों में सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती है और उस पानी को पंप के जरिए खेत तक पहुंचाने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है। किसान के लिए पानी और बिजली के बीच के इस संबंध को प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दिनों से ही गहराई से समझते आए हैं।

पानी एक बहुत कीमती संसाधन है, जिसका इस्तेमाल पूरी सावधानी से और निरंतरता के साथ किसानों के लंबे समय के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए ड्रिप और स्पिंकलर (टपक सिंचाई और छिड़काव के द्वारा सिंचाई) सिंचाई पर जोर दिया गया है। “प्रति बूंद से अधिक फसल” के नारे के साथ 2014-19 के दौरान पिछले 5 वर्षों की तुलना में कहीं अधिक कृषि भूमि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के तहत लाई गई है।

जहां तक बिजली का सवाल है मोदी सरकार ना केवल भारत के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने में सफल हुई है बल्कि उसने सौर पंपों की स्थापना से किसानों को बिजली के मामले में स्वावलंबी बनाने के लिए भी काम किया है। किसानों की अनुपयोगी और बंजर जमीन सौर बिजली बनाने तथा किसानों के लिए आय का अतिरिक्त जरिया बनाने में उपयोग की गई है।



‘प्रति बूंद से अधिक फसल’ सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक घटक ‘प्रति बूंद से अधिक फसल’ का लक्ष्य खेत के स्तर पर उपयुक्त सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी जैसे कि ड्रिप और स्पिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से पानी का बेहतर इस्तेमाल तय करना है।

वर्ष 2015-16 से अतिरिक्त 50.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया है। यह आंकड़ा वर्ष 2015-16 के पहले के पांच वर्षों की तुलना में कहीं ज्यादा है।

5,000 करोड़ रुपये का सूक्ष्म सिंचाई कोष राज्यों को कवरेज बढ़ाने के लिए संसाधन जुटाने में सहायता देता है। 12.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की स्वीकृत परियोजनाएं किसानों को अपनी जरूरत के लिए पानी तक पहुंच में मदद कर रही है।

मोदी सरकार न केवल अपना काम करती है बल्कि पुरानी सरकारों के अधूरे कार्यों को भी पूरा करती है। 77,595 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 76.03 लाख हेक्टेयर में सिंचाई के लिए 99 ऐसी परियोजनाएं शुरू की गईं। इनमें से 44 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं और 22 परियोजनाएं 90 प्रतिशत से ज्यादा पूरी हो गई हैं।



खेत के लिए बिजली

भारत के ऐसे सभी गांव, जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची थी, वहां बिजली पहुंचाकर सरकार ने नए युग का नेतृत्व किया।

पीएम-कुसुम योजना ने अकेले सौर पंपों के लिए रियायत के जरिए 20 लाख किसानों के डीजल और बिजली पर होने वाले खर्च कम किए हैं।

अतिरिक्त 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पंपों को सौर ऊर्जा की सुविधा देने में मदद दी जाएगी।



अन्नदाता से ऊर्जादाता

अक्सर किसानों के पास कुछ बंजर जमीन होती है, जो किसी काम की नहीं होती लेकिन अब ऐसी जमीन से आमदनी की जा सकती है। किसानों को छोटे सोलर प्लांट लगाने में मदद दी जा रही है, जहां पैदा होने वाली बिजली का उपयोग वह खुद के लिए कर सकेंगे और इससे ज्यादा बिजली पैदा होने पर ग्रिड को बेचा जा सकेगा।

संकट के समय सहायता

कृषि जोखिम से जुड़ी गतिविधि है। इसके कुछ जोखिम प्राकृतिक आपदाओं से पैदा होते हैं जो कि किसानों के नियंत्रण से बाहर हैं। कई बार किसान खेती में अपना खून-पसीना बहाता है, लेकिन प्रतिकूल प्राकृतिक मौसम और प्राकृतिक आपदाएं उसकी मेहनत को तबाह कर देती हैं। ऐसे मौकों पर किसानों को सहायता और राहत की जरूरत होती है जो उन्हें संकट से बाहर ला सके।

कोरोना वायरस महामारी के दौरान मोदी सरकार ने न केवल किसानों की मदद के लिए पीएम किसान योजना के तहत राशि भेजी बल्कि किसानों के लाभ के लिए बड़े पैमाने पर उपज की खरीद भी की है।

टिड्डियों के हमले से निबटने के लिए छिड़काव वाहनों तथा हेलिकॉप्टरों के इस्तेमाल जैसे अनेक उपाय किए गए हैं।



जरूरत के वक्त किसानों के साथ

आपदा में फंसे अधिक से अधिक किसानों तक मदद पहुंचाने के लिए आपदा राहत मानकों में प्रमुख बदलाव किए गए।

सभी तरह की सहायता राशि में डेढ़ गुना वृद्धि की गई है।

आपदा के दौरान सहायता के लिए एक हेक्टेयर की पात्रता को बढ़ाकर दो हेक्टेयर किया गया ताकि अधिक से अधिक किसान सुरक्षा कवरेज में आएँ।

कई बार अधिक वर्षा के कारण फसलों को नुकसान की स्थिति में पूरे न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया है।

राज्य आपदा राहत कोष के प्रावधान में 2010-15 के 5 वर्षों की तुलना में 2015-20 के 5 वर्षों की अवधि में 82% की वृद्धि देखी गई है। यह 33,580.93 करोड़ रुपए से बढ़कर 61,220 करोड़ रुपए हो गया।

विशेषता	पहले	अब
नुकसान हुई फसल का प्रतिशत जिसके लिए मुआवजा दिया गया है।	50 प्रतिशत या अधिक	33 प्रतिशत या अधिक
प्राकृतिक आपदा पीड़ितों के परिजनों को दी गई राशि	1.5 लाख रुपये	4 लाख रुपये

महामारी के दौरान भी कंधे से कंधा मिलाकर चलना

कोविड-19 महामारी के दौरान :

कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों से ज्यादा खरीद करने के लिए गेहूं, दाल और तिलहन के खरीद केन्द्र बढ़ाए गए।

पिछले वर्ष की तुलना में रबी सीजन में खरीद बढ़ी।

सरकार ने 390 लाख टन गेहूं की खरीद की। इससे किसानों को 75,000 करोड़ रुपये की आय हुई।

पीएम किसान योजना के अंतर्गत लगभग 9 करोड़ किसानों ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपनी जरूरतों के लिए 38 हजार करोड़ रुपये प्राप्त किए।

पिछले कुछ महीनों में 1.25 करोड़ नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए ताकि अगली फसल के लिए अधिक कर्ज दिया जा सके।

टिड्डियों के हमले से फसलों को बचाने के लिए सरकार ने छिड़काव वाहनों, ड्रोन तथा हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल किया।





किसानों के जीवन में जोखिम कम करना एवं उनकी वित्तीय सुरक्षा तय करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

कृषि में जोखिम कम करना केवल आपदा के समय राहत देने तक सीमित नहीं है। कभी-कभी, किसानों को ऐसे जोखिमों का भी सामना करना पड़ता है, जो पूरी तरह स्थानीय होते हैं और फसल खराब होने के कई कारण हो सकते हैं। ऐसे मामलों में बीमा, किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें जोखिम कवरेज बढ़ा दी गई है, सब्सिडी की ऊपरी सीमा समाप्त कर दी गई है, फसल कटाई बाद नुकसान का आकलन करते समय, यहां तक कि चक्रवाती तूफान एवं बेमौसम बारिश के साथ-साथ ओलावृष्टि से होने वाली क्षति को भी ध्यान में रखा जाता है और दावों के जल्द निपटान के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है।

यहां एक उदाहरण दिया गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आखिरकार कैसे किसानों के हित में है। 2016-17 में कर्नाटक के बीदर जिले में लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन तथा तुअर दाल की बुवाई की गई थी। भारी वर्षा के कारण लगभग 85 प्रतिशत फसलों को नुकसान पहुंचा। इस कारण, किसान बहुत कठिनाई में थे।

हालांकि, स्थानीय सांसद भगवंत खुबा ने पहले ही विशेष अभियान चलाकर किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने को कहा था। अनेक स्थानीय किसानों ने योजना के लिए नामांकन कराया और संकट के दौरान यह योजना उनके लिए जीवन रक्षक साबित हुई।

फसल बीमा से 1.21 लाख किसानों को लाभ हुआ और मुआवजे के रूप में उन्हें 149.20 करोड़ रुपये मिले। उस वर्ष बीदर जिले के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से काफी लाभ मिला।



मामूली दर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों की समग्र सुरक्षा

विभिन्न कारणों से फसलों का नुकसान झेलने वाले किसानों को लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 23 करोड़ आवेदन कवर किए गए, 4 वर्ष में 7.2 करोड़ आवेदकों को लाभ मिला।

किसानों द्वारा प्रीमियम के रूप में जमा कराए गए प्रत्येक 100 रुपये पर उन्हें दावे के रूप में 532 रुपये प्राप्त हुए। प्रीमियम में अपने हिस्से के रूप में किसानों ने 17,450 करोड़ रुपये जमा कराए थे, जिस पर उन्हें 87,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की दावा राशि का भुगतान किया गया है।

फसल कटाई के बाद नुकसान का आकलन करते समय बेमौसम बारिश और चक्रवाती वर्षा के अलावा ओलावृष्टि को भी शामिल करने से किसानों के जोखिम काफी कम हो गए हैं।

इसमें किसानों के अधिकारों को बनाए रखने तथा किसानों के दावा निपटान में देरी करने वालों को दंडित करने का प्रावधान किया गया है। अतः इसमें विलंब होने पर जुर्माने का भुगतान किसानों को किया जाएगा।




मोदी सरकार हमेशा किसानों की जरूरतों के प्रति काफी संवेदनशील रही है, उनका फीडबैक लेती है और उसी के अनुसार आवश्यक कदम उठाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सफलता के बावजूद कुछ किसान चाहते थे कि इस योजना का सदस्य बनने को स्वैच्छिक बनाया जाना चाहिए। इससे पहले, कर्ज लेने वाले किसानों को स्वतः ही इस योजना का सदस्य बना दिया जाता था।

हालांकि, किसानों के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए खरीफ सीजन 2020 से यह योजना संशोधित कर दी गई है, जिसके तहत इसका सदस्य बनना अब स्वैच्छिक कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ पहले के फसल बीमा की तुलना

विशेषताएं		पिछला फसल बीमा	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्रीमियम / बीमा राशि की सीमा		प्रीमियम कुल बीमित राशि का 9 - 13 प्रतिशत ही था जिससे किसानों को मिलने वाली बीमित राशि उसी अनुपात में घट जाती थी	प्रीमियम की कोई सीमा नहीं। किसानों को पूर्ण बीमा राशि मिलती है
सरकारी सब्सिडी की ऊपरी सीमा		हां	नहीं, भले ही शेष प्रीमियम 90 प्रतिशत ही क्यों न हो। सरकार भुगतान करती है।
जोखिम कवरेज	क्षेत्र के आधार पर	खड़ी फसलों पर प्राकृतिक जोखिम	फसल चक्र के नहीं रोके जा सकने वाले सभी प्राकृतिक जोखिम - बुवाई से पहले और फसल काटने के बाद तक
	प्लॉट स्तर पर आकलन	ओलावृष्टि, भूस्खलन	ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने, प्राकृतिक आग
कटाई बाद नुकसान की कवरेज		केवल तटीय क्षेत्र - चक्रवाती बारिश के लिए	सम्पूर्ण भारत के लिए - चक्रवाती, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के लिए
त्वरित दावों के निपटान के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग		अनौपचारिक	अनिवार्य
स्थानीय स्तर पर भारी आपदाओं या कटाई बाद नुकसान के लिए		नुकसान का आकलन किसी किसान के प्रभावित बीमित क्षेत्र के आधार पर करने के बजाय आसपास के पूरे क्षेत्र के आधार पर किया जाता था	नुकसान का आकलन संबंधित किसान के प्रभावित बीमित क्षेत्र के आधार पर किया जाता है


पहले की योजनाओं की तुलना में विभिन्न मानकों पर पीएमएफबीआई का कार्य प्रदर्शन




कुल बीमाकृत किसानों में से गैर-कर्जदार किसानों का प्रतिशत



साल दर साल दावा अनुपात



अनुपातिक प्रीमियम



2019-20 का दावा प्रक्रियाधीन है, इसलिए नए स्कीम दावे के आंकड़े, 2016-17 से 2018-19 के औसत दर पर आधारित

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

इसके तहत किसानों को किसी तय मूल्य पर उनकी उपज खरीदने का ठोस आश्वासन दिया जाता है। इससे उनकी आय से संबंधित जोखिम कम हो जाता है। अतः यह किसानों को आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तरीका है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसानों के लिए एक अहम आय सुरक्षा व्यवस्था है। इससे उन्हें इस बात का आश्वासन रहता है कि उनकी उपज से उन्हें कितनी आय प्राप्त होगी। मोदी सरकार ने एमएसपी को समय-समय पर बढ़ाने का वादा किया था और एमएसपी को कई बार बढ़ाकर यह वादा वाकई पूरा किया है।

हालांकि, मोदी सरकार और पिछली सरकारों में अंतर केवल इतना ही नहीं है कि इस सरकार ने एमएसपी को बार-बार बढ़ाने की घोषणा की है, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि किसानों से एमएसपी पर फसलों की खरीद को भी कई गुना बढ़ा दिया गया है।

यही नहीं, एमएसपी के रूप में किसानों को किया गया भुगतान भी कई गुना बढ़ा दिया गया है, ताकि एमएसपी में वृद्धि से किसान वास्तव में लाभान्वित हों।

कृषि सुधारों के बारे में फैलाए जा रहे सबसे सफेद झूठों में से एक एमएसपी से ही संबंधित है। हालांकि, मोदी सरकार ने 2020-21 के खरीफ सीजन सहित विभिन्न मौकों पर एमएसपी को बढ़ाने के साथ-साथ कुल खरीद में भी कई गुना वृद्धि करके एमएसपी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सही साबित कर दिखाया है।



मोदी सरकार ने किसानों के लिए एमएसपी भुगतान कई गुना बढ़ा दिया है

मोदी सरकार ने इस फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा की ताकि किसानों को उनकी उत्पादन लागत का कम-से-कम डेढ़ गुना मूल्य अवश्य प्राप्त हो। सरकार ने यह वादा किया था जो पूरा कर दिया गया है।

इस फॉर्मूले के तहत कुल उत्पादन लागत में संबंधित किसान के परिवार द्वारा दिए गए श्रम योगदान को भी शामिल किया गया है, ताकि केवल किसान के बजाय उसके पूरे परिवार के श्रम को ध्यान में रखा जा सके। सरकार ने अधिक से अधिक खरीददारी के साथ-साथ किसानों को ज्यादा से ज्यादा भुगतान भी सुनिश्चित किया है, जिससे कि एमएसपी में की गई बढ़ोतरी केवल कागजों तक ही सीमित न रहकर वास्तव में किसानों तक पहुंचे।

खरीद केंद्रों (रबी और खरीफ) की संख्या वर्ष 2016-17 के 48,550 से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 64,515 के स्तर पर पहुंच गई, जिससे यह बात साबित होती है कि एमएसपी पर खरीद करने की व्यवस्था को काफी मजबूत बनाया जा रहा है।

एमएसपी भुगतान की तुलना

किसानों को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य भुगतान में 2.4 गुना बढ़ोतरी



₹2.06
लाख करोड़
2009-14




₹4.95
लाख करोड़
2014-19

गेहूं के लिए किसानों को एमएसपी भुगतान में 1.77 गुना बढ़ोतरी




₹1.68
लाख करोड़
2009-14




₹2.97
लाख करोड़
2014-19

एमएसपी खरीद की तुलना

खरीदे गए धान की मात्रा
बढ़कर लगभग दोगुनी हुई




खरीदे गए तिलहनों की मात्रा में
15 गुना बढ़ोतरी




रबी फसलों पर एमएसपी में बढ़ोतरी

गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में
41 प्रतिशत की बढ़ोतरी




दलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में
73 प्रतिशत की बढ़ोतरी



जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में
45 प्रतिशत की बढ़ोतरी



₹1,100
/quintal
2013-14



₹1,600
/quintal
2020-21

चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में
64 प्रतिशत की बढ़ोतरी



₹3,100
/quintal
2013-14



₹5,100
/quintal
2020-21

दालों की खरीददारी से मोदी सरकार के समस्या समाधान के तरीके का पता चलता है

पिछली सरकार के लचर तौर-तरीकों के कारण देश की जनता को तिहरी मार झेलनी पड़ी थी।

सर्वप्रथम, पिछली सरकार ने दालों के उत्पादन को पर्याप्त रूप से बढ़ावा नहीं दिया था। इसका मतलब यही हुआ कि एक प्रमुख पोषक फसल उस दौरान कृषि नक्शे से गायब हो गई थी।

जो भी उत्पादन हुआ था उसकी पर्याप्त खरीद भी किसानों से नहीं की गई थी। पिछली सरकार ने किसानों से बहुत कम मात्रा में दालों की खरीददारी की थी।

जब दालों की मांग काफी बढ़ गई थी तो भारत को विदेश से दालों का आयात करना पड़ा था, जिससे आम उपभोक्ता इनकी ज्यादा कीमतें अदा करने पर विवश हो गए थे।

देश को दालों के आयात पर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी और उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना पड़ा। गरीबों को बढ़ती कीमतों का बोझ उठाना पड़ा और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर भुगतान किए जाने से भी कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ था।

हालांकि, मोदी सरकार ने समस्या समाधान के अपने नायाब तरीके से एक ही झटके में पूरी तस्वीर बदल दी।

मोदी सरकार ने दालों की एमएसपी बढ़ा दी। यही नहीं, मोदी सरकार ने पिछली सरकार के मुकाबले खरीददारी भी कई गुना बढ़ा दी। इसका अर्थ यही हुआ कि किसानों को अधिक धन प्राप्त हुआ।

दालों की उपलब्धता काफी बढ़ गई, जिससे उपभोक्ताओं और गरीबों के लिए दालों के मूल्य घट गए।

इसी तरह देश को भी उस धनराशि की काफी बचत हुई जो पहले दालों के आयात पर खर्च की जा रही थी।


दालों के लिए किसानों को एमएसपी भुगतान में 75 गुना बढ़ोतरी



₹645

करोड़

2009-14



₹49,000

करोड़

2014-19

खरीदी गई दालों की मात्रा में 74 गुना बढ़ोतरी



1.52LMT

2009-14



112.28LMT


2014-19

विभिन्न खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी

धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 42.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी



₹1,310
/quintal
2013-14



₹1,868
/quintal
2020-21

ज्वार के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 73.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी



₹1,520
/quintal
2013-14



₹2,640
/quintal
2020-21

तुअर (अरहर) के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 39.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी



₹4,300
/quintal
2013-14



₹6,000
/quintal
2020-21

मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 59.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी



₹4,500
/quintal
2013-14




₹7,196
/quintal
2020-21

एमएसपी के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता

"किसानों को MSP देने और सरकारी खरीद के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है, वो पहले कभी नहीं किया गया। बीते 5 साल में जितनी सरकारी खरीद हुई है और 2014 से पहले के 5 साल में जितनी सरकारी खरीद हुई है, उसके आंकड़े देखेंगे तो कौन सच बोल रहा है, कौन किसानों के लिए काम कर रहा है और कौन किसानों की भलाई के लिए काम कर रहा है इसकी गवाही वहीं से मिल जाएगी। मैं अगर दलहन और तिलहन की ही बात करूं तो पहले की तुलना में, दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद करीब-करीब 24 गुणा अधिक की गई है। इस साल कोरोना संक्रमण के दौरान भी रबी सीजन में किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की गई है। इस साल रबी में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर, किसानों को 1 लाख 13 हजार करोड़ रुपए MSP पर दिया गया है। ये राशि भी पिछले साल के मुकाबले 30 प्रतिशत से ज्यादा है। यानि कोरोना काल में न सिर्फ रिकॉर्ड सरकारी खरीद हुई बल्कि किसानों को रिकॉर्ड भुगतान भी किया गया है।"

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 21 सितंबर, 2020 को बिहार में एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में उपर्युक्त बातें कहीं






ईसीए में संशोधन से किसानों को फायदा होगा

"जब देश में खाद्यान्नों की भारी कमी थी, तब हमने आवश्यक वस्तु कानून लागू किया था। लेकिन यह कानून ऐसे समय में भी लागू था, जब हम दुनिया में दूसरे सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक बने थे।

इसी कानून की वजह से गांवों में अच्छे वेयरहाउसों का निर्माण नहीं हो सका और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं मिल पाया। इस कानून का बार-बार दुरुपयोग हो रहा था। इस कानून का ज्यादा इस्तेमाल तो व्यापारियों और निवेशकों को डराने के लिए किया गया। अब, कृषि क्षेत्र को भी इस भय से मुक्त कर दिया गया है। अब, व्यापारी और कारोबारी समूह गांवों में गोदामों के निर्माण के लिए बेखौफ आगे आ सकते हैं।

इससे किसानों को निश्चित तौर पर फायदा होगा, क्योंकि वे स्थानीय मंडियों या बाजारों में कम कीमतों पर अपनी उपज बेचने के लिए बाध्य नहीं होंगे। भंडारण सुविधाओं की बढ़ती कृषि अनाज की बर्बादी की समस्या से मुक्त हो जाएंगे, जिसका सामना उन्हें उपज की दुलाई के दौरान करना पड़ता है। यही नहीं, दुलाई की लागत भी कई गुना कम हो जाएगी।"

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 09 अगस्त, 2020 को कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्तपोषण की सुविधा के शुभारम्भ के अवसर पर उपर्युक्त बातें कहीं



गन्ना किसानों के हितों की रक्षा

मोदी सरकार ने अगस्त 2019 से जुलाई 2020 के बीच 40 लाख मीट्रिक टन चीनी का बफर स्टॉक बनाने की मंजूरी दी। इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादा खरीद होने से गन्ना किसान लाभान्वित हुए।

सरकार से जुड़े संगठनों को यह निर्देश दिया गया कि वे किसानों के खाते में सीधे पैसा हस्तांतरित करें जिससे कि समय पर भुगतान हो सके।

मोदी सरकार ने गन्ने की एफआरपी बढ़ाकर 285 रुपये प्रति क्विंटल कर दी, जो गन्ने की उत्पादन लागत का करीब 175 प्रतिशत है। इससे गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति और बेहतर हो गई।

एथनॉल के उत्पादन ने सही मायनों में मोदी सरकार के कार्यकाल में ही काफी जोर पकड़ा है। एथनॉल की खरीद वर्ष 2013-14 के 38 करोड़ लीटर से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 195 करोड़ लीटर से भी अधिक हो गई है। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि किसान ज्यादा उत्पादन के सीजन में भी गन्ने का पैसा सही समय पर हासिल कर सकते हैं।



बाजार तक पहुंच आसान

किसान चाहे कोई भी फसल पैदा करे, उसे बिक्री स्थल तक पहुंचाए बिना उसकी आय नहीं बढ़ सकती है।

बाजार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसानों को अधिक बाजारों के साथ-साथ इन बाजारों तक पहुंचने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की भी जरूरत है। मोदी सरकार के कार्यकाल में हजारों ग्रामीण बाजार विकसित किए जा रहे हैं और उन्हें उन्नत बनाया जा रहा है। इसके साथ ही गांवों में सड़क कनेक्टिविटी में भी काफी सुधार हुआ है। इन दोनों ही कदमों से किसानों के समय और धन की काफी बचत हो रही है, क्योंकि बाजार अब किसानों के और भी निकट आ गए हैं।

अब मोदी सरकार ने भारतीय किसानों को एपीएमसी मंडियों में और इनके बाहर भी दोनों ही जगहों पर अपनी उपज बेचने की आजादी दे दी है। यदि किसान मंडी में ही बेचना चाहते हैं तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि कोई इच्छुक खरीददार किसानों के द्वार पर आ जाता है तो किसान उसका भी लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले किसान जब एपीएमसी बाजारों से बाहर अपनी उपज बेचते थे तो ऐसे कारोबार को अक्सर अवैध मान लिया जाता था और खरीददार द्वारा उन्हें ठगे जाने की स्थिति में उनको कोई कानूनी संरक्षण नहीं मिलता था।

अब किसान यदि बाजार से बाहर अपनी उपज बेचते हैं तब उन्हें कानूनी व्यवस्था के तहत आवश्यक सहायता मिलती है जिससे उन्हें बेईमान खरीददार ठग नहीं पाते हैं।

अंततः किसान अब किसी भी अन्य उत्पादक की तरह स्वयं अपनी मर्जी के मुताबिक निर्धारित मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।



ग्रामीण बाजारों का विकास

किसानों की बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि बाजारों की सुविधा वहां दी जाए, जहां किसान रहते हैं। इससे किसान अपनी उपज को दूर के बाजार में ले जाने पर खर्च होने वाली धनराशि और मेहनत की बचत कर सकते हैं।

मोदी सरकार मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएम) के रूप में विकसित कर रही है। इन जीआरएएम में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए मनरेगा कार्यों को इसके साथ एकीकृत किया जा रहा है।

इससे जहां एक ओर बाजारों की संख्या में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रमिकों को इन परियोजनाओं में काम भी मिल रहा है।


गांवों में बुनियादी ढांचे को व्यापक प्रोत्साहन

बाजार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसानों को अपने गांवों के आस-पास बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। लगभग 97.5 प्रतिशत पात्र ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसान बाजारों तक आसानी से पहुंच सकते हैं, बच्चे स्कूल जा सकते हैं और बीमार लोग अस्पतालों तक पहुंच सकते हैं। अतः इस तरह से किसान परिवारों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 तक कनेक्टेड बस्तियों का प्रतिशत 60.3 प्रतिशत था और मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर वर्ष 2020 तक 97.5 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचा दिया है।

'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' III विशेष कर प्रमुख संपर्क सड़कों तथा मार्गों को उन्नत बनाने के लिए वर्ष 2019 में लॉन्च की गई थी, ताकि किसानों को ग्रामीण बाजारों, गोदामों तथा कोल्ड स्टोरेज से कनेक्ट किया जा सके। कृषि तथा कृषि प्रसंस्करण आधारित अवसंरचना तैयार करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत 189 क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी प्रगति (किलोमीटर में)



67 प्रतिशत अधिक सड़कों का निर्माण कार्य पूरा

कृषि सुधार 2020- बाजार तक पहुंच को व्यापक बढ़ावा

कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून से किसानों को एपीएमसी मंडियों के भीतर या उससे बाहर देश भर में किसी भी स्थान पर कृषि उपज बेचने और खरीदने की आजादी मिल गई है। किसानों को अपनी उपज का मूल्य तय करने का अवसर मिलेगा।

इसके साथ ही एमएसपी व्यवस्था और सरकारी खरीद भी जारी है, जो उनकी उपज की कीमत के लिहाज से किसानों के लिए एक आय सुरक्षा व्यवस्था है।

अनुबंध पर खेती का मार्ग प्रशस्त करने वाले कानून में एक समग्र, किसान हितैषी कानूनी व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें खरीददारों से जुड़ने में सहायता मिलती है।

यह कानून किसानों की भूमि एवं उनके अधिकारों की रक्षा करता है और समय पर निश्चित भुगतान न मिलने की स्थिति में उन्हें कानूनी अधिकार भी उपलब्ध कराता है, ताकि वे अपनी धनराशि प्राप्त कर सकें।

आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन किया गया है ताकि विभिन्न खाद्य उत्पादों को मूल्य नियंत्रण के दायरे से बाहर किया जा सके और इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान इन वस्तुओं के वास्तविक मूल्यों से अवश्य ही लाभान्वित हों।

इन कानूनों से किसानों को उनकी आय बढ़ाने में मदद मिल रही है और इसके साथ ही कृषि में निवेश व प्रौद्योगिकी भी आ रही है।

ई-नाम (e-NAM) के जरिए किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य दिलाने में सहायता

यह एक ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसने किसानों को सबसे बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 18 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थित लगभग 1,000 बाजारों को एकीकृत किया है।

1.68 करोड़ किसानों का पंजीकरण हो चुका है। इसी तरह लगभग 1,800 कृषक उत्पादक संगठनों का पंजीकरण हो चुका है।

विभिन्न राज्यों में किसानों और खरीददारों के बीच कुल 1.13 लाख करोड़ रुपये के लेन-देन को सुगम बनाया जा चुका है।

मूल्य में वृद्धि और अनुकूल वातावरण तैयार करना

दुनिया भर में यह बात स्वीकार की जाती है कि खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग जैसे मूल्य वर्धन (वैल्यू एडिशन) के जरिए कृषि उपज विशेष रूप से खाद्य संबंधी उपज और भी अधिक मूल्यवान हो जाती है। कच्चे उत्पाद की तुलना में एक प्रसंस्कृत उत्पाद से खासी ज्यादा आमदनी होती है।

ऐसे मूल्य वर्धन के लिए मोदी सरकार ने एक व्यापक प्रसंस्करण प्रणाली तैयार की है, जैसे कि फूड पार्क, कृषि प्रसंस्करण उद्योग, स्टार्टअप्स इत्यादि। इसके अलावा शीत भंडार, वेयरहाउस और इसी तरह के अन्य आधारभूत ढांचों, जैसे कि आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) लिंक के माध्यम से लॉजिस्टिक सहायता भी दी जा रही है।

मोदी सरकार ने एक एग्री इन्फ्रा फंड के जरिए फार्मगेट इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया है।

किसान उत्पादक संगठनों ने किसानों को एकजुट किया है जिससे उपज संबंधी सौदेबाजी में वे अपनी बातें मनवा सकेंगे। इस तरह के 10,000 किसान उत्पादक संगठन तैयार किए जा रहे हैं।

स्टार्टअप्स से लेकर फूड पार्क तक, शीत भंडारों से लेकर मशीनीकरण तक व्यापक अवसरों से युक्त यह व्यापक प्रणाली ग्रामीण युवाओं को रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर भी उपलब्ध कराती है।



मूल्य वर्धन (वैल्यू एडिशन) और आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) से व्यापक सहायता

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से कृषि क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) अवसंरचना का आधुनिकीकरण हो रहा है।

किसानों के लाभ के लिए 19 मेगा फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। इससे किसानों को अपनी उपज का मूल्य वर्धन करने में उन्हें मदद मिलेगी और खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से उन्हें लाभ होगा।

फिलहाल 119 नई कोल्ड चेन परियोजनाएं चल रही हैं, जिससे 11 लाख से भी अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। कोल्ड चेन किसानों के लिए विशेषकर शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के भंडारण और ढुलाई के लिए आवश्यक हैं।

किसान रेल शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय कोल्ड सप्लाई चेन बनाने में मदद करती है जिससे किसानों को अब तक की सर्वाधिक दूरी तक अपनी उपज भेजने में मदद मिल रही है।


इसी तरह किसान उड़ान कृषि उत्पादों को विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर ले जाने में मदद करती है जिससे हमारे किसान अब निर्यातकों के रूप में सामने आ रहे हैं।

किसान अनुकूल मोबाइल एप्लीकेशन किसान रथ एप कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए परिवहन वाहनों की खोज में किसानों तथा व्यापारियों की मदद करता है।


कृषि उत्पादों का मूल्य वर्धन

मोदी सरकार ने सटीक रास्ता दिखाया है

मेगा फूड पार्कों का संचालन और प्रसंस्करण क्षमता में तेजी से वृद्धि




परिरक्षण और प्रसंस्करण क्षमता जोड़ी गई (लाख मीट्रिक टन)




एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य वर्धन संबंधी बुनियादी ढांचों में तेजी से वृद्धि

पूर्ण परियोजनाएं



कृषि उपज की संचालित मात्रा

(लाख मैट्रिक टन)



खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं में वृद्धि

3,508 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 269 परियोजनाएं शुरू की गईं।

कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों का निर्माण

1,614 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 55 परियोजनाएं स्वीकृत।

बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण

56 परियोजनाओं में 632 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी मिली।

इन सभी के माध्यम से 21 लाख किसान लाभान्वित हुए और 3 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित हुए।

स्टार्ट-अप प्रणाली का निर्माण

स्टार्ट-अप हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, और कृषि क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है।

उन ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों से बेहतरीन नए नवाचार (इनोवेशन) उभर रहे हैं, जहां युवाओं ने किसानों की समस्याओं को काफी करीब से देखा है।

समय की मांग है कि एक ऐसी स्टार्ट-अप प्रणाली हो, जो किसानों की समस्याओं के अनगिनत समाधान प्रस्तुत कर सके।

ऐसे नवाचारों को और प्रोत्साहित करने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 424 स्टार्ट-अप्स का चयन किया गया है, जिन्हें 45.38 करोड़ रुपये की धनराशि किस्तों में दी जायेगी। इन स्टार्ट-अप्स के वित्तपोषण के लिए 19.70 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं।

इक्विटी सहयोग के अलावा, ये स्टार्ट-अप एग्री इंफ्रा फंड के तहत वित्तपोषण के भी योग्य हैं।

कृषि मशीनीकरण

पराली जलाने की समस्या के बारे में केवल बोलना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वित्तपोषण और बुनियादी ढांचे के माध्यम से एक विकल्प ढूंढने में संस्थागत रूप से किसानों की मदद करना कहीं ज्यादा आवश्यक है।

हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में यथास्थान ही फसल अवशेषों का निपटान करने के लिए वर्ष 2018 में एक नई केंद्रीय योजना शुरू की गई थी।

इस योजना के तहत राज्यों को 1,726.67 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस कोष से 28,759 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं और 1,56,231 मशीनों की आपूर्ति की गई है।

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)

किसान उत्पादक संगठन दरअसल किसानों को एक साथ लाने और संगठित करने का माध्यम हैं, जो उनके हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें किसान एक दूसरे के बेहतर तौर तरीकों को समझने के अलावा खरीददारों से संगठित रूप में बेहतर मोलभाव कर सकते हैं।

इस तरह वर्ष 2023-24 तक पूरे देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठन खड़ा करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक विशेष अवसर पर बताया कि किस तरह खाद्य प्रसंस्करण से किसानों की आय बढ़ जाती है उन्होंने कहा-

“गांधीनगर के निकट एक गांव है रूपल, जहां मिर्ची की खेती होती है। कभी-कभी जब एक किसान कोई विशेष फसल उगाता है तो उस क्षेत्र के अन्य किसान भी वही फसल उगाने लगते हैं। यहां मैं जिस फसल का जिक्र कर रहा हूँ, वह मिर्च है। ज्यादा उत्पादन के परिणामस्वरूप कीमते गिर जाती हैं। उस गांव की आमदनी समस्त मिर्च बेचने के बाद कभी भी 3 लाख रुपये से अधिक नहीं हो पाई। यह राशि अपेक्षा से बेहद कम थी, इसलिए ग्रामीणों ने एक सोसायटी बनाने का फैसला किया। जब उन्हें 24 घंटे बिजली सप्लाई मिलने लगी तो उन्होंने मिर्च का प्रसंस्करण करने और मिर्च पाउडर बनाने की बात सोची। उन्होंने प्रोसेसर खरीदे और अंततः पैकेजिंग का काम भी पूरा कर लिया। इसका परिणाम यह निकला कि 3 लाख रुपये में बेची जाने वाली मिर्च को मिर्च पाउडर बनाकर 18 लाख रुपये में बेचा गया।”



एग्री इंफ्रा फंड

किसानों की आय दोगुनी करने में मदद देने के लिए फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना और खेती से जुड़ी सामुदायिक परिसंपत्तियां अत्यंत आवश्यक हैं।

इनकी बढ़ती बढती किसान भंडारण करने और अपनी उपज अधिक कीमत पर बेचने, अनाज की बर्बादी कम करने, प्रसंस्करण बढ़ाने और अपनी उपज का मूल्य वर्धन करने में सक्षम हो जाएंगे।

इस तरह की बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण में मदद देने के लिए अगस्त, 2020 में कृषि अवसंरचना कोष बनाया गया।

यह कोष ब्याज सब्सिडी के साथ-साथ किसानों, एफपीओ और ग्रामीण उद्यमियों को वित्तीय सहायता देकर लाभप्रद परियोजनाओं के लिए कर्ज का वित्त पोषण करता है।

प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों की लगभग 3,064 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 1,565 करोड़ रुपये की कर्ज राशि निहित है।

योजना के तहत वित्त-पोषण के लिए 3,500 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं को पहले ही आवश्यक स्वरूप दिया जा चुका है।



कृषि शिक्षा और अनुसंधान

आईएआरआई, पूसा, नई दिल्ली में नानाजी देशमुख प्लांट फेनोमिक्स सेंटर फॉर रिसर्च की स्थापना की गई, ताकि नई और उन्नत फसलों के विकास में तेजी लाई जा सके, फसलों की बेहतर हालत और सतत कृषि (सस्टेनेबल एग्रीकल्चर) सुनिश्चित की जा सके।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तर्ज पर झारखंड और असम में दो नए संस्थान स्थापित किये गए हैं।

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के अधीन नए कॉलेज शुरू किये गए हैं।

बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी एकीकृत कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान खोला गया है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खेती के लिए समग्र समाधान प्रस्तुत करेगा।

पिछले 6 वर्षों के दौरान 81 नए कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए।

कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और वानिकी में 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम को प्रोफेशनल डिग्री के रूप में घोषित किया गया है।

'केवल प्रकल्प (पहल) ही पर्याप्त नहीं हैं। किसानों के लिए विकल्प की भी आवश्यकता है'- प्रधानमंत्री

“किसान को आधुनिक सुविधाएं देना, छोटे किसानों को संगठित करके उनको बड़ी ताकत बनाना, किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी हैं। बीते सालों में फसल बीमा हो या सिंचाई, बीज हो या बाजार, हर स्तर पर काम किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से देश के लगभग 4 करोड़ किसान परिवारों की मदद हुई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लगभग 47 लाख हेक्टर ज़मीन माइक्रो इरिगेशन के दायरे में आ चुकी है। लगभग 77 हजार करोड़ रुपए के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है।

लेकिन साथियो, सफल प्रकल्प ही काफी नहीं होते। इसके साथ-साथ किसानों को उस बड़े और व्यापक मार्केट का लाभ भी मिलना चाहिए जो हमारा देश, दुनिया के बड़े बाजार हमारे किसानों को उपलब्ध कराते हैं। इसलिए विकल्प के माध्यम से किसानों को सशक्त करने का रास्ता अपनाया गया है। किसान हित में किए गए कृषि सुधार ऐसा ही विकल्प किसान को देते हैं। अगर किसान को कोई ऐसा खरीददार मिल जाए जो सीधा खेत से उपज उठाए, जो ट्रांसपोर्ट से लेकर लॉजिस्टिक्स के हर प्रबंध करे और बेहतर कीमत दे, तो क्या किसान को अपनी उपज उसे बेचने की आज़ादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भारत के कृषि उत्पाद पूरी दुनिया में मशहूर हैं। क्या किसान की इस बड़े मार्केट और ज्यादा दाम तक किसान की पहुंच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेनदेन को ठीक समझता है तो, उस पर भी इस कानून में कहां कोई रोक लगाई है भाई?

नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेनदेन ही गैरकानूनी माने जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे। क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। अब छोटे से छोटा किसान भी, मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। यानि किसान को अब नए विकल्प ही नहीं मिले हैं और छल से, धोखे से, उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। किसानों को प्रकल्प के साथ ही नए विकल्प देने से ही हमारे कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। सरकार की तरफ से प्रकल्प, किसान के लिए विकल्प और दोनों साथ-साथ चलें, तभी देश का कायाकल्प होता है।

सरकारें नीतियां बनाती हैं, कानून-कायदे बनाती हैं। नीतियों और कानूनों को समर्थन भी मिलता है तो कुछ सवाल भी स्वाभाविक ही हैं। ये लोकतंत्र का हिस्सा है और भारत में ये जीवंत परंपरा रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक अलग ही ट्रेंड देश में देखने को मिल रहा है। काशी के आप सभी जागरूक साथियो ने भी ये जरूर अनुभव किया होगा। पहले होता ये था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था। लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं, हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएँ फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि फैसला तो ठीक है लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या-क्या होगा और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। अब जैसे, MSP तो घोषित होता था लेकिन MSP पर खरीद बहुत कम की जाती थी। घोषणाएं होती थीं, खरीद नहीं होती थी। सालों तक MSP को लेकर छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़े-बड़े कर्जमाफी के पैकेज घोषित किए जाते थे। लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे। यानि कर्जमाफी को लेकर भी छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़ी-बड़ी योजनाएं घोषित होती थीं। लेकिन वो खुद मानते थे कि 1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते हैं यानि योजनाओं के नाम पर छल। किसानों के नाम पर, खाद पर बहुत बड़ी सब्सिडी दी गई। लेकिन ये फर्टिलाइजर खेत से ज्यादा काला बाजारियों के पास पहुंच जाता था। यानि यूरिया खाद के नाम पर भी छल। किसानों को Productivity बढ़ाने के लिए कहा गया लेकिन Profitability किसान के बजाय किसी और की सुनिश्चित की गई। पहले वोट के लिए वादा और फिर छल, यही खेल लंबे समय तक देश में चलता रहा है।''

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 30 नवम्बर, 2020 को वाराणसी में एक परियोजना के शुभारम्भ कार्यक्रम में उपर्युक्त बातें कहीं



अन्नदाता के हितों को समर्थन देना ही मोदी सरकार का

अतिरिक्त आय के अवसर

मोदी सरकार के घोषित उद्देश्यों में से एक किसानों की आय को दोगुना करना है। इस मिशन में मुख्य है किसानों की आय के स्रोतों में विविधता लाना।

अक्सर, कृषि से पूरे साल कमाई नहीं हो पाती है, लेकिन इसे आय के नियमित स्रोतों जैसे कि दूध उत्पादन, मत्स्य पालन, शहद उत्पादन और इस तरह की अन्य गतिविधियों द्वारा पूरा किया जा सकता है।

नीली क्रांति पर ध्यान केंद्रित करके, पशुओं की देशी नस्लों की रक्षा की पहल करके और उन्हें अधिक उत्पादक बनाकर, पशुओं को बीमारी से बचाने के विभिन्न उपाय करके सरकार ने किसानों की मदद की है ताकि उनकी आय का एक स्थिर स्रोत बना रहे।

इसके अलावा, कई अनूठी पहलों का सहारा लेकर जैसे, कि एथनॉल मिश्रित पेट्रोल, जिसमें अतिरिक्त गन्ने या क्षतिग्रस्त अनाज का उपयोग किया जाता है, और यहां तक कि अतिरिक्त या बेकार समझी जाने वाली चीजों का इस्तेमाल करके किसानों के लिए आय के स्रोत जुटाए जा रहे हैं।



देशी नस्लों की रक्षा करना और पशुओं का संरक्षण

अधिकतर किसान परिवारों में कुछ दुधारू मवेशी होते हैं। इन पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने के साथ-साथ देशी नस्लों का संरक्षण करने से किसानों की आय में सीधे तौर पर वृद्धि होती है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देशी नस्लों के मवेशियों की रक्षा के साथ उनके स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने मवेशियों में खुरपका-मुंहपका और ब्रुसेलोसिस रोगों की प्रभावी रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक इस बीमारी को नियंत्रित करना है और वर्ष 2030 तक 500 मिलियन पालतू पशुओं का टीकाकरण कर इस बीमारी को पूरी तरह से समाप्त करना है। इससे किसानों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत काफी मजबूत होगा। इस दिशा में बीते छह साल में नरेन्द्र मोदी की सरकार ने जो अभूतपूर्व प्रयास किए हैं, उनका परिणाम ये है कि 2013-14 में दूध उत्पादन सालाना 137.7 मिलियन टन से बढ़कर 2018-19 में 188 मिलियन टन हो गया।

नीली क्रांति से मत्स्य पालन करने वाले किसानों के लिए नए रास्ते खुले हैं

मछली पालन और जलीय कृषि में किसानों के लिए आय के उत्कृष्ट स्रोत होने की व्यापक क्षमता है।

नीली क्रांति योजना का लक्ष्य 42,632 हेक्टेयर भूमि को ताजे और खारे दोनों ही क्षेत्रों में एक्वाकल्चर यानी जलीय कृषि के तहत लाना है, जिससे किसानों के लिए अतिरिक्त आय का एक बड़ा स्रोत मिल सकता है।

इस क्षेत्र पर मोदी सरकार के फोकस को दर्शाते हुए 1.5 करोड़ मछुआरों के कल्याण हेतु मत्स्य पालन के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की गई थी।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 20,000 करोड़ रुपये के अब तक के सर्वाधिक निवेश के साथ शुरू की गई थी, ताकि मछुआरों, मत्स्य पालक किसानों, मत्स्य पालक श्रमिकों और मछली विक्रेताओं के कल्याण सहित मत्स्य पालन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत जरूरतों को पूरा किया जा सके।

इन सभी पहलों से देश 1 लाख करोड़ रुपये के मत्स्य निर्यात के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है जिसे वर्ष 2024-25 तक हासिल किया जाना है।

किसानों की अतिरिक्त आय का साधन है बागवानी

किसान अक्सर अपनी आय के अतिरिक्त साधन के लिए अन्य फसलों के साथ ही बागवानी फसलों को भी उगाते हैं।

हालांकि, ऐसे किसानों के लिए सबसे आवश्यक मदद फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करना होगा, क्योंकि बागवानी उपज अक्सर शीघ्र खराब हो जाती है।

बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन से शीघ्र खराब होने वाली बागवानी उपज की बर्बादी को कम करने में मदद मिल रही है।

इसमें कटाई के उपरांत प्रबंधन सुविधाओं, जैसे कि विभिन्न प्रकार

के कोल्ड स्टोरेज, परिवहन सुविधाओं और पकने वाले चैंबरों के विकास के लिए सहायता शामिल है।

कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के जरिए 21.54 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता सृजित की गई है।

किसानों के लिए मीठी क्रांति की शुरुआत

भारत दुनिया के शीर्ष पांच शहद उत्पादक देशों में शामिल है। 2005-06 की तुलना में शहद का उत्पादन 242% बढ़ा है और निर्यात में 265% की वृद्धि हुई है।

यहां तक कि छोटे और सीमांत किसान भी मधुमक्खी पालन को अपना सकते हैं क्योंकि इसमें निवेश कम है और रिटर्न ज्यादा मिलता है। इसके लिए ज्यादा जमीन और अधिक कच्चे माल की भी जरूरत नहीं होती है।

मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करके छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। पूरे भारत में लाखों मधुमक्खी के बक्से उपलब्ध कराए गए हैं।

इस मिशन को सही दिशा और क्षमता देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी और शहद मिशन को जून 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया गया।

शहद उत्पादन के क्षेत्र हेतु वर्ष 2020-2023 की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

किसानों और देश को लाभ पहुंचाने के लिए एथनॉल का मिश्रण करना

पेट्रोल में एथनॉल का मिश्रण करना किसानों को लाभ पहुंचाने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है।

अतिरिक्त चीनी और गन्ने से भी एथनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। उन क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का उपयोग करके भी इसे उत्पादित किया जा सकता है जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। अतः यहां तक कि उस अनाज से भी कुछ आमदनी हो सकती है जो आमतौर पर फेंक दिए जाते हैं।

अतिरिक्त गन्ने और चीनी का अन्यत्र उपयोग करने से अतिरिक्त स्टॉक की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी।

एथनॉल एक हरित ईंधन है और पेट्रोल के साथ इसका मिश्रण करने से देश की विदेशी मुद्रा की भी बचत होती है।


मोदी सरकार एथनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को लागू कर रही है जिसके तहत तेल विपणन कंपनियां 10 प्रतिशत तक एथनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेच सकती हैं।

इससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि एथनॉल की खरीद में कई गुना वृद्धि हुई है।

एथनॉल की खरीद 2013-14 के 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 2019-20 में 195 करोड़ लीटर से भी अधिक के स्तर पर पहुंच गई है, जो लगभग 5 गुना ज्यादा है।

मनरेगा का इस्तेमाल कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है

मनरेगा के तहत कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर व्यय का प्रतिशत



मनरेगा के तहत कृषि और संबद्ध कार्य

कार्य का नाम	2013-14 तक पूर्ण किए गए कार्य	2014-15 से लेकर अब तक पूर्ण किए गए कार्य
कुएं	2.81 लाख	6.76 लाख
मवेशी आश्रय स्थल	10,590	8.08 लाख
बकरी आश्रय स्थल	2,670	2 लाख
चारागाह	8,449	39,194
खेत तालाब	10 लाख	21.76 लाख
मुर्गी पालन स्थल	1,097	78,338

वित्तीय सुरक्षा

उपर्युक्त सभी पहलों से किसी न किसी तरह से किसानों की वित्तीय सुरक्षा निश्चित तौर पर बढ़ती है। हालांकि, किसानों की वित्तीय सुरक्षा के लिए उठाए गए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक पीएम-किसान (किसान सम्मान निधि) कार्यक्रम है।

इस पहल के तहत मोदी सरकार हर साल करोड़ों किसानों के बैंक खातों में सीधे 6,000 रुपये हस्तांतरित करती है। यह एक ऐसी आय है जिसे किसान हर साल निश्चित रूप से अपनी कुल आमदनी में जोड़ सकते हैं। इसका उपयोग कृषि से संबंधित कच्चे माल को खरीदने या किसी अन्य आवश्यकता के लिए किया जा सकता है। किसान के हाथों में पैसा देकर सरकार ने किसानों को अपनी मर्जी के मुताबिक इस धनराशि का कहीं भी उपयोग करने की आजादी भी दे दी है।

इसके अलावा, इस राशि को सीधे उनके बैंक खातों में डाल देने से इसके गलत इस्तेमाल या बेईमानी की कोई संभावना भी नहीं रहती है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान पीएम-किसान योजना के तहत किए गए भुगतान से सरकार को किसानों तक पहुंचने और किसी आर्थिक व्यवधान होने की आशंका को दूर करने में मदद मिली।

सरकार ने किसानों के लिए एक पेंशन योजना भी शुरू की है जिसके तहत उन्हें बहुत कम प्रीमियम पर अपने बुढ़ापे के दौरान वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।



प्रत्यक्ष आय सहायता और प्रत्यक्ष पेंशन सहायता भी

कभी-कभी छोटे और सीमांत किसानों को औपचारिक कर्ज नहीं मिल पाते हैं। कर्ज के अनौपचारिक स्रोत बहुत महंगे होते हैं और ऐसे में इन किसानों की स्थिति काफी बदतर हो जाती है। हालांकि, पीएम-किसान के जरिए इन किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सुनिश्चित कर दी गई है, जो सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचती है। यह राशि दरअसल पूंजी के एक छोटे स्रोत के रूप में भी काम करती है जो उन किसानों के काफी काम आ सकती है जिन्हें पैसे की सख्त जरूरत है।

अब तक कुल 95,628 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और 10.52 करोड़ किसान परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।

इसके अलावा, जैसा कि वादा किया गया था, पीएम किसान मानधन योजना शुरू की गई है, ताकि किसानों को पेंशन की सुरक्षा दी जा सके। इसके तहत न्यूनतम प्रीमियम पर प्रति माह 3,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी।

इस योजना के लाभार्थी पीएम-किसान के तहत मिलने वाली आय सहायता राशि को इस पेंशन योजना में लगा सकते हैं।

प्रमुख कृषि आय में वृद्धि करना

कच्चे माल की लागत में कमी (रियायती खाद और बीज, तकनीक को अपनाना, सूक्ष्म -सिंचाई, सौर पम्प) पैदावार की कीमतों में बढ़ोतरी (एमएसपी में वृद्धि)

आय के अतिरिक्त अवसर

कृषि से सम्बद्ध कार्य (डेयरी, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन)
नवाचार (एथनॉल का उत्पादन करना, बंजर भूमि में सौर पैनल लगाना)

बाजार तक पहुंच और लिंकेज

एपीएमसी की मंडियों में और इसके बाहर भी अपनी उपज बेचने की सुविधा अनुबंध पर खेती (सुरक्षित कानूनी प्रक्रिया के तहत)
खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन (मेगा फूड पार्क)

दोगुनी होगी किसानों की आय



जोखिम कम करना

प्रत्यक्ष आय सहायता (पीएम-किसान)
भंडार गृह और शीत गृह (कोल्ड चेन)
बीमा (पीएमएफबीवाई के तहत बढ़ी हुई
कवरेज)
संकट के दौरान सहायता (आपदा मुआवजा
में वृद्धि)



**सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार**